उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 120 / 2023

परिवादी :– श्रीमती प्रेमलता श्रॉफ पत्नी श्री जयत श्रॉफ, आर0 के0 पुरम कालोनी, जमालपुर खुर्द, बहादराबाद, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम **आदेश दिनांक 02.11.2023**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी के तथ्य– परिवाद के परिवाद पत्र कागज साक्ष्य के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिनी श्रीमती प्रेमलता श्रॉफ द्वारा विद्युत संयोजन सं0–JW21224146977 अप्रैल 2015 में लिया गया था। उपभोक्ता ने कथन किया है कि वह पंजाब में रहती है, कभी–कभी, आना–जाना रहता है। जब से मीटर लगा है तब से कोई भी विद्युत का उपभोग नहीं किया गया है और कोई भी मीटर नहीं चला है प्रार्थिया का मीटर नवम्बर 2022 में बदल दिया गया और प्रार्थिया का बिल बहुत अधिक आ गया है। प्रार्थिया ने नये व पुराने मीटर की एम0आर0आई0 कराकर जांच करवाने का निवेदन करते हुए प्रार्थना की है कि उनका बिल ठीक करा दिया जाए ताकि प्रार्थिया बिल अदा कर सके। परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र के साथ 2 ता 7 प्रस्तुत किये गये।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी द्वारा अपने जवाब में कागज स0–9 मय सलग्नक 10,11,12 प्रस्तुत कर कथन किया है कि संयोजन सं0– JW21224146977 का संयोजन दिनांक 03.04.2015 को हुआ था तथा दिनांक 27.11.2021 को पुराना मीटर बदला गया था, नये मीटर में 01 रीडिंग थी। परीक्षणशाला द्वारा यह मीटर आई0डी0एफ0 होने के कारण बदला गया। आई0डी0एफ0 के कारण सिस्टम में 200 / 400 / 500 रीडिंग का बिल बनाया गया है। माह 04 / 2022 जो मीटर बदला था वह सिस्टम पर अपडेट कर दिया गया है, तब से माह 06 / 2023 तक केवल 01 रीडिंग का ही प्रयोग हुआ है। वर्तमान में उपभोक्ता ने अपने परिसर पर रहना शुरू कर दिया है, जिस कारण उसकी रीडिंग वर्तमान में अब दिनांक 08.09.2023 को 225 के0डब्ल्यू0एच0 है।

साक्ष्य– परिवादी की ओर से स्वयं का शपथपत्र कागज सं0–15.16.17 एवं अशोक कुमार व विशेष कुमार कागज सं0–18.19.20 प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त पते पर विद्युत कनैक्शन का कोई प्रयोग नही किया गया व शपथपत्र का विपक्षी द्वारा कोई प्रति उत्तर नहीं दिया गया।

क्रमशः......02

विवेचना

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा विद्युत संयोजन लिए जाने की तिथि दिनांक 03.04.2015 से दिनांक 09.06.2023 तक विद्युत का उपभोग नहीं किया गया है। परिवादिनी के संयोजन पर स्थापित मीटर में विद्युत खपत दर्ज नहीं होने से स्पष्ट होता है कि परिवादिनी उक्त परिसर पर निवास नहीं कर रही थी। विपक्षी विभाग का यह कथन कि आईडीएफ मीटर के कारण 200/400/800 यूनिट का बिल बनाया गया, न्याय संगत नहीं है, क्योंकि परिवादिनी के परिसर पर निवासरत न होने के कारण उनके परिसर पर स्थापित मीटर पर विद्युत खपत दर्ज नहीं होने के फलस्वरूप मीटर को आईडीएफ दर्शाया गया है, जो कि सही प्रतीत नहीं होता है क्योंकि अप्रैल 2022 में उक्त आईडीएफ मीटर बदल दिए जाने के पश्चात भी परिवादिनी द्वारा विद्युत खपत न किए जाने पर शून्य विद्युत खपत के बिल विपक्षी विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।

इस प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि परिवादिनी द्वारा उपरोक्त संबंधित विद्युत संयोजन परिसर में निवास न किए जाने के चलते विद्युत का उपभोग नहीं किया गया है, जिसकी पुष्टि विपक्षी विभाग के अभिलेखों से होती है। अतः परिवादिनी को उपरोक्त संदर्भित अवधि में आईडीएफ आधार पर 200/400/800 यूनिट की दर से बिल जारी किया जाना तर्क संगत नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को जारी समस्त एनआर/आईडीएफ बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 03.04.2015 से दिनांक 09.06.2023 के मध्य शून्य यूनिट विद्युत खपत के अनुसार बिल संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को जारी समस्त एनआर/आईडीएफ बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 03.04.2015 से दिनांक 09.06.2023 के मध्य शून्य यूनिट विद्युत खपत के अनुसार बिल संशोधित करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत विहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 126/2023

परिवादी :– श्री राजकुमार पुत्र स्व0 जगदीश, गली नं0–11, राजेन्द्र नगर, रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रूड़की।

कोरम

आदेश दिनांक 02.11.2023

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी के तथ्य–संक्षेप में परिवादी कथन है कि विद्युत संयोजन संख्या RM1107176014 श्री राजकुमार पुत्र स्व0 जगदीश, गली नं0–11, राजेन्द्र नगर, रूड़की, जिला हरिद्वार में स्थित है, जिसका बिल धनराशि रू0 1962.00 दिनांक 04.06.2023 को ऑनलाइन अदा कर दिया गया था, जोकि दिनांक 11.05.2023 से दिनांक 11.07.2023 की कुल यूनिट 386 का बना था। उक्त के उपरान्त प्रार्थी को पुनः एक बिल दिनांक 11.05.2023 से दिनांक 15.08.2023 तक का यूनिट पर रू0 4271.00 का भेज दिया गया है। उक्त बिल गलत है, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 11.05.2023 से 11.07.2023 का बिल पूर्व में अदा कर दिया गया है। अतः प्रार्थी का बिल ठीक करते हुए समायोजन करवाने की कृपा करे। आवेदक के स्थान पर श्री दिनेश सकलानी का नाम अंकित है। शिकायत प्रार्थना पत्र का कागज सं0 1 मय संलग्नक 2 तथा 7 है।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी की ओर से काजग सं0–11 प्रस्तुत कर परिवादी पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया केवल कन्जयूमर हिस्ट्री शीट संलग्न कर (कागज सं0 12) प्रस्तुत की गयी।

पक्षकारों की ओर से अन्य कोई साक्ष्य अथवा प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया।

विवेचना

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत कनेक्शन का उपभोक्ता श्री राजकुमार है, और शिकायत पत्र श्री दिनेश सकलानी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कोई अधिकार पत्र पत्रावली पर दाखिल नहीं है। विपक्षी द्वारा परिवादी को दिनांक 11.05.2023 तक लगातार एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 03.08.2023 को एनआर आधार पर बिल जारी किया गया है। दिनांक 15.08.2023 को एमयू आधार पर लगभग तीन माह का 781 यूनिट का बिल जारी किया गया है जिसमें दिनांक 03.08.2023 को निर्गत एनआर बिल का समायोजन दिया गया है, जोकि सही प्रतीत होता है। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा पूर्व के वर्षों में की गई विद्युत खपत के अनुरूप ही वर्तमान में विद्युत का उपभोग किया जा रहा है।

क्रमशः......02

वाद सं0—126 / 2023
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को उसकी वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर एमयू के बिल जारी किए गए हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण परिवादी को इस मंच द्वारा कोई भी अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

02/11/23	02/11/2023	02/11/2023
(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 127 / 2023

परिवादी :– श्री आरिफ अली पुत्र श्री रियासत अली, लक्सर रोड, ढंढेरा, नियर त्यागी मार्केट, रूडकी, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रूडकी।

कोरम **आदेश दिनांक 02.11.2023**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी के तथ्य–संक्षेप में परिवादी पत्र के अनुसार कथन इस प्रकार है कि विद्युत संयोजन संख्या RM21606722603 है। बिजली का बिल रू0 1034.00 का परिवादी को प्राप्त हुआ, परन्तु जब जमा करने गया तो रू0 7345.00 का बताया गया। अनुरोध किया गया है कि बिजली का बिल ठीक कराने की कृपा करें, जिससे वह बिल जमा कर सकें। वर्तमान में पुराना कोई बिल बकाया नहीं है। परिवादी पत्र (कागज सं0 3 मय संलग्न 4 ता 7) है।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी की ओर से (काजग सं0–1) प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर में आयी रीडिंग अनुसार विद्युत बिल नियमानुसार निर्गत हो रहे हैं।

साक्ष्य– परिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि विपक्षी विभाग की ओर से उपभोक्ता इतिहास कागज सं0 4,5,6,7,व 10 प्रस्तुत किये गये।

विवेचना

पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 02.11.2022 से 02 किलोवाट भार में गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 24.04.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है। दिनांक 26.07.2023 को एमयू/आरडीएफ, दिनांक 20.08.2023 को एमयू/एमसी तथा दिनांक 08.09.2023 को एमसी/एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री विरेन्द सिंह बिष्ट द्वारा सुनवाई के समय मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी के परिसर पर स्थापित पुराने मीटर पर अंतिम रीडिंग 1571 पाई गई तथा नये मीटर को आईआर–228 पर दिनांक 19.05.2023 को स्थापित किया गया, जिसकी पुष्टि परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री से भी होती है। विपक्षी विभाग द्वारा जारी दिनांक 20.08.2023 बिल यूनिट 1483 यूनिट में पुराने मीटर की शेष रीडिंग 260 (1571–1311) यूनिट तथा नये मीटर पर दर्ज विद्युत खपत 1223 (1451–228) यूनिट सम्मलित है, जबकि

उक्त बिल में दिनांक 26.07.2023 को आरडीएफ आधार पर जारी 669 यूनिट बिल का समायोजन किया जाना चाहिए था, लेकिन विपक्षी विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय मे परिवादी को जारी विद्युत बिल दिनांक 26.07.2023 तथा दिनांक 20.08.2023 को निरस्त करते हुए दिनांक 26.07.2023 के बिल को आईआर—1311 तथा एफआर—1571 मानते हुए 260 यूनिट का तथा दिनांक 20.080.2023 को जारी बिल में आईआर—228 तथा एफआर—1451 मानते हुए 1223 यूनिट का संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को जारी विद्युत बिल दिनांक 26.07.2023 तथा दिनांक 20.08.2023 को निरस्त करते हुए दिनांक 26.07.2023 के बिल को आईआर—1311 तथा एफआर—1571 मानते हुए 260 यूनिट का तथा दिनांक 20.080.2023 को जारी बिल में आईआर—228 तथा एफआर—1451 मानते हुए 1223 यूनिट का संशोधित बिल जारी करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 132 / 2023

परिवादी :– श्रीमती वकीला पत्नी श्री शकील अहमद, ग्रा0 रसूलपुर, रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रूड़की।

कोरम **आदेश दिनांक 02.11.2023**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी के तथ्य– परिवादी पत्र (कागज सं0 1) के अनुसार संक्षेप में परिवादी के तथ्य इस प्रकार है कि उनका बिल 2 महीने का रू0 3000.00 आता था, फिर 2 महीने का रू0 6000.00 का आने लगा। पिछले 8 वे महीने रू0 16151.00 का आया, 9 वें महीने में रू0 31341.00 का आया है। इतना बिल वह कैसे अदा करें, अनुरोध किया गया है कि उनके बिल में सुधार करा दिया जाए। कागज सं0 1 परिवाद पत्र के साथ संलग्नक कागज सं0 2,3 ता 4 है।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी की ओर से कागज सं0–6 अपने जवाब में कथन किया है कि श्रीमती वकीला पत्नी श्री शकील अहमद, ग्रा0 रसूलपुर, रूड़की द्वारा दिनांक 15.09.2023 में विद्युत वितरण उपखण्ड रामनगर रूड़की में आयोजित शिविर में मंच को अवगत कराना है कि उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर में आयी रीडिंग अनुसार विद्युत बिल नियमानुसार निर्गत हो रहा है।

साक्ष्य– परिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जबकि विपक्षी द्वारा कागज सं0 8 के साथ कन्जूमर हिस्ट्री (कागज सं0 9 व 10) प्रस्तुत किये गये। जिसमें विपक्षी ने दिनांक 20.04.2023 से 13.09.2023 तक का कन्जूमर हिस्ट्री प्रस्तुत करने का कथन किया है।

विवेचना

पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 29.06.2018 से 01 किलोवाट भार में गतिमान है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित होता है कि परिवादिनी को दिनांक 23.12.2022 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 26.02.2023 को आईडीएफ आधार पर, दिनांक 09.04.2023 को एमसी आधार पर, दिनांक 26.06.2023 को एमसी / एमयू आधार पर और दिनांक 03.08.2023 को एनआर आधार पर तथा दिनांक 17.08.2023 एवं दिनांक 13.09.2023 को एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से विदित होता है के दिनांक 26.06.2023 को जारी बिल मे लगभग डेढ़ माह की विद्युत खपत मात्र 195 यूनिट दर्शाया गया है, जबकि दिनांक 17.08.2023 को जारी बिल में लगभग एक माह 22 दिन की विद्युत खपत 2720 यूनिट

दर्शायी गई है जो कि सही प्रतीत नही होती है। दिनाक 17.08.2023 को जारी बिल में इससे पूर्व दिनांक 03.08.2023 को एनआर आधार पर जारी बिल का समायोजन भी नहीं दिया गया है, जो कि नियमानुसार सही नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इस मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 26.06.2023 से दिनांक 13.09.2023 तक की अवधि में जारी समस्त विद्युत बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 26.06.2023 के बिल में आईआर—670 तथा दिनांक 13.09.2023 के बिल में एफआर—4268 दर्शाते हुए औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर बिल संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 26.06.2023 से दिनांक 13.09.2023 तक की अवधि में जारी समस्त विद्युत बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 26.06.2023 के बिल में आईआर—670 तथा दिनांक 13.09.2023 के बिल में एफआर—4268 दर्शाते हुए औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर बिल संशोधित करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।

02/11/2023	02/11/2023	02/11/2023
(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 135 / 2023

परिवादी :– श्री प्रवेश कुमार पुत्र श्री राजकुमार, मकान सं0–196, ग्रा0 रामपुर, रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रूड़की।

कोरम **आदेश दिनांक 02.11.2023**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी के तथ्य–संक्षेप में परिवादी (कागज सं0 1) पत्र के अनुसार परिवादी के तथ्य इस प्रकार हैं कि किसी कारण से उनका मीटर सही नहीं चल रहा है। बिजली का बिल अधिक आ रहा है, जिससे परिवादी परेशान है। परिवादी ने इसकी शिकायत ऑनलाइन भी की है, जो दिनांक 10.08.2023 को शिकायत सं0–21008230763 है, कनेक्शन सं0– RM21006174633 है। मीटर चैक कराने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी की ओर से काजग सं0–7 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उपभोक्ता श्री प्रवेश कुमार पुत्र श्री राजकुमार, मकान सं0–196, ग्रा0 रामपुर, रूडकी, द्वारा की गई शिकायत सम्बन्धी निवारण हेतु कन्जूमर हिस्ट्री 10.02.2023से 19.09.2023 तक की छायाप्रति प्रेषित है। (कागज सं0–9 व 10)

साक्ष्य– किसी भी पक्षकार का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

विवेचना

पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 03.05.2015 से 02 किलोवाट भार में गतिमान है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 25.08.2023 तक लगातार एनयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री से यह भी विदित होता है कि परिवादी द्वारा वर्ष 2021 में औसतन प्रति माह लगभग 124 यूनिट तथा वर्ष 2022 में औसतन प्रति माह लगभग 186 यूनिट की विद्युत खपत की गई, जबकि वर्ष 2023 में (अगस्त 2023 तक) प्रति माह औसतन लगभग 320 यूनिट विद्युत खपत की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा वर्ष 2023 में वर्ष 2021 तथा वर्ष 2022 की तुलना में क्रमशः 61.25 प्रतिशत तथा 41.88 प्रतिशत अधिक विद्युत की खपत की जा रही है। वर्ष 2021, 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में परिवादी द्वारा की जा रही अधिक विद्युत खपत के परिपेक्ष्य में परिवादी द्वारा मीटर की शुद्धता पर संदेह व्यक्त किया जाना परिवादी की दृष्टि से उचित है।

क्रमशः......02

इस प्रकरण में जहां तक परिवादी द्वारा मीटर चैक कराए जाने का सवाल है तो परिवादी विपक्षी विभाग के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर चैक मीटर लगाए जाने हेतु आवेदन कर सकता है और विपक्षी विभाग चैक मीटर आवेदन के बाद सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत चैक मीटर स्थापित कर परिवादी अपनी शंका का समाधान करवा सकता है। वहीं जहां तक परिवादी द्वारा बिल अधिक आने का सवाल किया गया है तो इस संबंध में कोई भी कार्यवाही चैक मीटर की रिपोर्ट के आधार पर ही संभव है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तु)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 138 / 2023

परिवादी :– श्रीमती सोनिया पत्नी श्री अभिषेक कुमार, विनीत नगर, नियर महीपाल कोठी, रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रूडकी।

कोरम | आदेश दिनांक 02.11.2023

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी के तथ्य–परिवाद पत्र के कागज सं0–1 के अनुसार परिवाद के तथ्य इस प्रकार है कि उपभोक्ता सोनिया का विद्युत कनैक्शन सं0–RM11117179736 का मीटर सही नहीं चल रहा है बिल बहुत अधिक आ रहा है। ऑनलाइन शिकायत की थी जिसका नम्बर 21409230745 दिनांक 14.09.2023 है मेरा मीटर चैक कराने की कृपा करें। परिवाद पत्र के साथ परिवादिनी ने कागज सं0–2 वा 5 प्रस्तुत कर संलग्न किये हैं।

विपक्षी का जवाब–विपक्षी द्वारा अपने जवाब में कागज सं0–7 प्रस्तुत कर कथन किया है कि श्रीमती सोनिया नियर महीपाल कोठी विनीत नगर रूडकी द्वारा दिनांक 15.09.2023 में विद्युत वितरण खण्ड रामनगर रूडकी में आयोजित शिविर में मीटर तेज चलने/बिल अधिक आने हेतु शिकायत की गयी थी। जिस पर मंच को अवगत कराना है कि उपभोक्ता के विद्युत बिल सम्बंधित समस्या निवारण हेतु उनके द्वारा चैक मीटर लगाने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र को (पंजीकरण सं0–21409230745) पंजीकृत किया जा चुका है। तथा वर्तमान में चैक मीटर स्थापन हेतु अवर अभियन्ता, मीटर विद्युत परीक्षणशाला रामनगर, रूड़की के स्तर पर लम्बित है। तदोपरांत चैक मीटर रिपोर्ट के अनुसार शिकायतकर्ता के विद्युत बीजक को आवश्यकता होने पर संशोधित किया जा सकता है।

साक्ष्य–परिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रतिउत्तर नहीं दिया गया, परन्तु विपक्षी की ओर से कागज सं0–8 प्रस्तुत कर कन्जुमर हिस्ट्री 20.11.2022 से 12.09.2023 तक की (कागज सं0–9) प्रस्तुत की गयी।

विवेचना

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 12.09.2023 तक लगातार एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी को उनके द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत के अनुसार ही एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जो कि सही प्रतीत होते हैं तथा उनमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

क्रमशः......02

जहां तक इस प्रकरण में परिवादी द्वारा मीटर सही न चलने का कथन किया गया है तो विपक्षी विभाग के कथनानुसार परिवादी के मीटर की शुद्धता जांचने हेतु उनकी शिकायत दर्ज की जा चुकी है तथा विद्युत परीक्षणशाला रामनगर रूड़की द्वारा परिवादी के परिसर पर चैक मीटर स्थापित किया जाना है, जिससे कि परिवादी की उक्त शंका का समाधान किया जा सकें। इस मंच द्वारा दिनांक 07.10.2023 को सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग को आदेशित किया गया कि वह परिवादी के परिसर पर चैंक मीटर लगाकर मंच को अवगत कराए। दिनांक 26.10.2023 को विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई के समय मंच को अवगत कराया गया कि दिनांक 12.10.2023 को विद्युत परीक्षणशाला द्वारा वाईएमपीएल कंपनी के माध्यम से परिवादिनी के परिसर पर स्थापित मीटर की जांच करवाई गई जिसमें मीटर सही पाया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 167 / 2023

परिवादी :– श्री अनुराधा पत्नी श्री मदनलाल, ग्रा0 कुवाहेडी, पो0 नारसन, रूडकी, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूडकी।

कोरम **आदेश दिनांक** 02.11.2023

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी का तथ्य– परिवादी की ओर से काजग सं0 1 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया ने 2 किलोवाट के घरेलू कनेक्शन हेतु संबधित जे0ई0 व लाईनमैन से सम्पर्क किया तो उन्हें बताया गया कि उनकी लाईन का आंगणन, 200/300 मीटर का बनेगा, जबकि प्राथिंया के घर के दोनों ओर लाईन है, जो टाउन से जुडी है जिसकी दूरी, 20–30 मीटर होगी वही से पडोसी की लाईन भी जुडी है। जे0ई0 का कहना है कि ट्रांसफार्मर की क्षमता बढाई जा सकती है। परिवादी ने समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी की ओर से अपने जवाब में कागज सं0–2 प्रस्तुत किया गया तथा कथन किया है कि परिवादी अनुराधा पत्नी श्री मदनलाल, ग्रा0–कुआहेड़ी, पो0 नारसन, रूड़की, जिला हरिद्वार के नाम से उपखण्ड कार्यालय मंगलौर को कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ है।

साक्ष्य– परिवादी की ओर से कोई साक्ष्य/प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी की ओर से कागज सं0–4 प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि परिवादी अनुराधा के नाम से आवेदन किया गया है जिसका पंजीकरण उपखण्ड कार्यालय द्वारा कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा संयोजन हेतु शुल्क जमा करने के पश्चात संयोजन शीघ्र ही निर्गत कर दिया जाएगा।

विवेचना

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा मंच के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने से पूर्व विपक्षी विभाग के कार्यालय में नये संयोजन हेतु कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, जिसका उल्लेख विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 4269 दिनांक 06.10.2023 में भी किया गया है। दिनांक 16.10.2023 को मंच की सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अक्षय कपिल द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादिनी द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन कर लिया गया है, जिसका पंजीकरण उपखण्ड कार्यालय द्वारा कर लिया गया है।

क्रमशः......02

इस प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि परिवादिनी द्वारा इस मंच में अपना परिवाद प्रस्तुत करने के समय तक नये विद्युत संयोजन हेतु विपक्षी के कार्यालय में आवेदन नहीं किया गया है, परंतु दिनांक 16.10.2023 को मंच की सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि उपखण्ड अधिकारी श्री अक्षय कपिल द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादिनी द्वारा नये विद्युत संयोजन हेतु आवेदन कर लिया गया है, जिसका पंजीकरण कर लिया गया है।

चूंकि अब परिवादिनी द्वारा उपरोक्त विद्युत संयोजन हेतु आवेदन कर लिया गया है। अतः मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को नये विद्युत संयोजन हेतु नियमानुसार सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत विद्युत संयोजन जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को नये विद्युत संयोजन हेतु नियमानुसार सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत विद्युत संयोजन जारी करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।

02/11/2023	02/11/2023	02/11/2023
(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसक्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 110 / 2023

परिवादी :– श्री अमरीश पुत्र श्री झल सिंह, निवासी–ग्राम रोहलकी–किशनपुर, पो0–बहादराबाद, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम **आदेश दिनांक 09.11.2023**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अमरीश पुत्र श्री झल सिंह, निवासी–ग्राम रोहलकी–किशनपुर, पो0–बहादराबाद, जिला हरिद्वार द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि उनके पिता के नाम एक विद्युत कनेक्शन सं0– JW0K000009735 खाता सं0– 40100848181 / 30.0 KW है। उनके पिता की मृत्यु वर्ष 2016 में हो चुकी है। उनके द्वारा विद्युत बिलों का भुगतान माह दर माह किया जाता रहा है। विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 24.01.2023 को उनके मीटर सं0 5136750 पर एक टेस्टिंग मीटर लगाया जिसमें एक्यूरेसी चैक माइनस 0.07 प्रतिशत, मीटर पावर फेक्टर 0.998 रिमार्क में मीटर की टेस्टिंग रिपोर्ट में कोई त्रुटि नहीं पायी गयी और मीटर अपनी क्षमता अनुसार सही कार्य कर रहा है दर्शाया गया। दिनांक 10.03.2023 को उनके विद्युत बिल में बिल पैरामीटर के क्रमांक सं0 21 एडजस्टमेंट (ओ0एम0 नं0 1199 दिनांक 06.03.2023 रजिस्टर नं0 491 स्लो मीटर असेसमेंट) धनराशि 1,08,587 / – रू0 अंकित की गई है और उपरोक्त धनराशि बिल सं0 3952723031000088 में समायोजित कर दी और कुल बिल धनराशि 1,41,836 / – रू0 दिखायी गई है जोकि पूर्ण रूप से गलत है। उनके द्वारा पिछले सम्पूर्ण विद्युत बिलों का भुगतान समय–समय पर कर दिया गया है। विद्युत विभाग द्वारा स्लो मीटर असेसमेंट की गलत रिपोर्ट के आधार पर 1,08,597 / – रू0 की धनराशि बिल में समायोजित की गयी है। विद्युत बिल में समायोजित की गयी धनराशि दिनांक 06.03.2023 को विद्युत बिल से हटाकर उनका विद्युत बिल सही किया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। अतः मंच से अनुरोध है कि दिनांक 06.03.2023 की समायोजित धनराशि को उनके विद्युत बिल से हटाकर उनका विद्युत बिल सही करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया है कि विद्युत संयोजन सं0– JW0K000009735 वाणिज्य विधा का 30.0 KW भार में गतिमान है जिसके सापेक्ष मीटर सं0 19628519 स्थापित है जिस पर चैक मीटर सं. 5136750 सीलिंग क्र0 17 / 1295 दिनांक 17.12.2022 के माध्यम से स्थापित किया गया था। सीलिंग क. 34 / 501 दिनांक 16.01.2023 के अनुसार विद्युत परीक्षणशाला हरिद्वार द्वारा चैक

मीटर की तुलना में 21.89% KVAH में धीमा विद्युत खपत को रिकार्ड किया जा रहा था। उक्त के आधार पर उपभोक्ता के संयोजन पर स्थापित मेन मीटर सं0 19628519 की एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अध्ययन करने पर पाया कि उक्त मीटर द्वारा दिनांक 06.03.2022 से 16.01.2023 चैक मीटर फाईनल दिनांक तक Y फेज में वोल्टेज की हानियां होने के कारण विद्युत खपत को पूर्ण रूप से रिकार्ड नहीं किया जा रहा था जिस कारण विभाग को राजस्व हानियां हो रही थी। जिस पर उपभोक्ता के मीटर द्वारा Y फेज में वोल्टेज हानियों का निर्धारण धनराशि रू0 1,08,587/— किया गया है। मेन मीटर सं0 19628519 के फेजर दिनांक 02.04.22, 02.05.22, 05.06.22, 03.07.2022, 02.09.2022, 07.10.2022, 07.11.2022, 05.12.2022 तथा दिनांक 06.01.2023 व लोड सर्वे रिपोर्ट (दिनांक 02.03.22 से 31.03.2022 तक) से स्पष्ट है कि दिनांक 06.03.2022 से दिनांक 16.01.2023 तक Y फेज में वोल्टेज पूर्ण रिकार्ड नहीं की जा रही थी। उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत मीटर सं0 5136750 की टेस्टिंग रिपोर्ट 24.01.2023 के बजाय 24.03.2023 की है। मीटर सं0 5136750 की दिनांक 24.03.2023 की एम0आर0आई0 प्रस्तुत है तथा YMPL का एग्रीमेंट/आर्डर नं0 1065/ UPCL/CE/CCP-II/5/2022-2023 (YMPL) दिनांक 03.02.2023 प्रेषित है। जबकि संयोजन सं0 JW0K00009735 के सापेक्ष मीटर सं0 19628519 स्थापित है जिस पर चैक मीटर सं0 5136750 सीलिंग क्रमांक सं0 17/1295 दिनांक 17.12.2022 के माध्यम से स्थापित किया गया था। उपभोक्ता के माह मार्च 2023 में बीजक के निर्धारण धनराशि रू0 1.08.587/—जोड़ दिया गया है। जिसका निर्धारण UERC 2020 की नियमावली के अध्याय सं0 5.1.3 Testing of Meters से सम्बन्धित बिन्दु सं0 10(a) के अनुसार किया गया है।

विपक्षी के जवाब के प्रति उत्तर में परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि विभाग द्वारा दिनांक 17.12.2022 को जो चैक मीटर लगाया गया था वो मीटर विभाग वाले पता नहीं कब उतारकर ले गये इसकी कोई सूचना विभाग द्वारा परिवादी को नहीं दी गयी। मार्च 2023 में दिए गए बिल में लगभग 1,00,000/— रू0 अतिरिक्त का बिल उन्हें दे दिया गया। उनके द्वारा कार्यालय जाकर पता किया तो बताया गया कि उनका मीटर धीमे चल रहा था यह उसी का एसेसमेंट है। उनके द्वारा विभाग से मीटर की सीलिंग मांगी तो उन्हें पहले वाले मीटर की सीलिंग दे दी जो चैक मीटर लगा था उसकी मीटर सीलिंग की मांग की तो वहां उपस्थित कर्मचारी ने कहा कि साहब ने मना कर रखा है तब कर्मचारी से साहब का नम्बर लेकर कॉल किया और उस कर्मचारी की बात उपखण्ड अधिकारी से करायी तो वह कर्मचारी ने फोन पर कहा कि सर मीटर सीलिंग पर उपभोक्ता और जे0ई0 साहब के हस्ताक्षर नहीं हैं। उस कर्मचारी की उपखण्ड अधिकारी से हुई बातचीत की ऑडियो रिकार्डिंग व बिना हस्ताक्षर की मीटर सीलिंग की विडियो रिकार्डिंग परिवादी के पास सुरक्षित है। जिससे स्पष्ट है कि परिवादी का बिल गलत बनाया गया है।

परिवादी द्वारा पुनः एक आवेदन प्रस्तुत कर अपने परिवाद के कथनों को दोहराया है तथा कथन किया है कि विपक्षी ने मार्च 2023 का कुल बिल 1,41,836/— रू0 का परिवादी के प्रतिष्ठान में भेज दिया जबकि मार्च 2023 का बिल मात्र 33,249/— रू0 का था। परिवादी ने यह भी कथन किया है कि विद्युत विभाग के द्वारा हर महीने उनके विद्युत मीटर की एम0आर0आई0 होती चली आती है जिससे साबित होता है कि मीटर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। विद्युत विभाग द्वारा जानबूझकर परिवादी को परेशान किया जा रहा है। परिवादी ने यह भी कथन किया है कि विद्युत विभाग के द्वारा चैक मीटर के परिपेक्ष्य में चैक मीटर लगाते समय व हटाते समय कोई सूचना चैक मीटर रसीद इत्यादि नहीं दी है और न ही किसी भी प्रपत्र पर परिवादी के हस्ताक्षर कराये गये हैं। परिवादी ने यह भी कथन किया है कि सीलिंग रिपोर्ट पर विभाग के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर क्यों नहीं हैं और सीलिंग पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर क्यों नहीं कराये गये। परिवादी ने यह भी कथन किया है कि उसके प्रतिष्ठान पर लगा मीटर बिल्कुल सही है उसमें

कोई त्रुटि नहीं है। महज परेशान करने के उद्देश्य से परिवादी को रू0 1,08,587.00 का बिल बढ़ाकर भेजा गया है।

विपक्षी द्वारा अपने दूसरे जवाब में अतिरिक्त कथन किया है कि दिनांक 16.01.2023 को चैक मीटर फाईनल किया गया। दिनांक 16.01.2023 को उपभोक्ता/उपभोक्ता प्रतिनिधि की उपस्थिति में चैक मीटर फाईनल किया गया तथा उपभोक्ता/उपभोक्ता प्रतिनिधि चैक मीटर फाईनल करने के दौरान यह कहकर कि अभी थोड़ी देर में आता हूं परन्तु काफी देर तक नहीं आये। कथन किया है कि दिनांक 01.09.2023 को श्री राधेश्याम अवर अभियन्ता द्वारा उक्त तथ्य मंच के समक्ष बताये गये। चैक मीटर फाईनल करने की सीलिंग 34/501 दिनांक 16.01.2023 संलग्न है जिस पर अवर अभियन्ता राधेश्याम के हस्ताक्षर अंकित हैं तथा एम0आर0आई0 संलग्न है। विपक्षी द्वारा प्रेषित विद्युत बिल सही बताया गया।

विपक्षी की ओर से कथन किया गया है कि परिवादी द्वारा अपने जवाब में उठाये गये मूल शिकायत से अलग बिन्दु दिनांक 06.09.2023 को विद्युत कर्मचारी द्वारा कनेक्शन मीटर की सील तोड़ दी है के सम्बन्ध मे अवगत कराया कि M/s Imon Cartage Pvt. Ltd., 113, Sitapur, Behind Maida Meel Haridwar को कार्यालय पत्रांक सं. 4889 दिनांक 18.10.2023 के माध्यम से आख्या मांगी गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि "On dated 06.09.2023, Our authorized representative Mr. Himanshu went to the concerned consumer Mr. Jhal Singh Connection no. JW0K00009713 at 08:40 PM Mr. Himanshu 9557500801 is working with us as meter reader (MR). He took the MRI which report is enclosed here with For your ref." विपक्षी ने मीटर सं0 5136750 पर दिनांक 24.03.2023 की टेस्टिंग रिपोर्ट एवं YMPL का NABL Certificate की अप्रमाणित फोटोप्रति संलग्न की है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री अमरीश स्वयं उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से श्री अमित तोमर उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का संदर्भित विद्युत संयोजन वाणिज्य विधा में 30 किलोवाट भार में गतिमान है। परिवादी का बिलिंग चक्र मासिक है इस कम मे परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा हर माह बिल जारी किया जा रहा है। मासिक बिल तैयार किए जाने हेतु परिवादी द्वारा की गई विद्युत खपत के अनुसार बिल बनाए जाने हेतु प्रत्येक माह मीटर की रीडिंग एमआरआई के माध्यम से ली जाती रही है। विपक्षी के कथनानुसार इस मासिक प्रकिया में एमआरआई द्वारा लिए गए आंकड़ों का प्रयोग विपक्षी विभाग द्वारा बिल बनाए जाने हेतु किया जाता है तथा इस प्रकिया में मीटर के दोषपूर्ण होने का संज्ञान लेना संभव नहीं है, जो कि व्यवहारिक दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।

मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.10.2020 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबंधित मामले) विनियम, 2020 के अध्याय—5 के प्राविधान 5.1.2 (1) के अनुपालन में भी विपक्षी विभाग को परिवादी के परिसर पर लगे मीटर को प्रत्येक बिलिंग चक्र में एक बार पढ़ा जाना आवश्यक है। साथ ही प्राविधान 5.1.2 (5) के अनुपालन में विपक्षी विभाग द्वारा सभी टाइम ऑफ डे (ToD) मीटर्स को केवल मीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट (एमआरआई) से पढ़ा जाना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा उपरोक्त दशा में परिवादी को विद्युत आपूर्ति संहिता के प्राविधान 5.1.2 (1) एवं 5.1.2 (5) के तहत प्रत्येक माह बिल जारी किया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है।

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर सं0—19628519 की एमआरआई रिपोर्ट के अध्ययन किए जाने के उपरांत पाया गया कि उक्त मीटर द्वारा दिनांक 06.03.2022 से दिनांक 16.01.2023 (चैक मीटर फाइनल तिथि) तक Y फेज में वोल्टेज की हानियां होने के कारण विद्युत खपत को पूर्णरूप से रिकार्ड नहीं किया गया है।

इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर दिनांक 17.12.2022 को चैक मीटर स्थापित किया गया, जिसकी पुष्टि सिलिंग प्रमाण पत्र सं0-17/1295 दिनांक 17.12.2022 से होती है। उक्त चैक मीटर को दिनांक 16.01.2023 को फाइनल किया गया, जिसकी पुष्टि सिलिंग प्रमाण पत्र सं0-34/501 दिनांक 16.01.2023 से होती है। परिवादी द्वारा कथन किया गया है कि चैक मीटर फाइनल किए जाने से संबंधित सिलिंग प्रमाण पत्र सं0-34/501 दिनांक 16.01.2023 पर उनके तथा विपक्षी विभाग के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, क्योंकि विपक्षी विभाग द्वारा इस विषय पर कोई भी सूचना परिवादी को नहीं दी गई है। जबकि सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी का प्रतिनिधि चैक मीटर फाइनल किए जाने के दौरान मौके पर मौजूद था और यह कहकर चला गया कि वह थोड़ी देर में आएगा, परंतु परिवादी प्रतिनिधि मौके पर काफी देर के बाद भी वापस नहीं लौटा, जिसकी पुष्टि सुनवाई के समय उपस्थित विपक्षी के प्रतिनिधि अवर अभियन्ता श्री राधेश्याम द्वारा की गई है, जिनके हस्ताक्षर चैक मीटर फाइनल सिलिंग प्रमाण पत्र 34/501 दिनांक 16.01.2023 पर अंकित हैं।

पत्रावली में उपलब्ध सिलिंग प्रमाण पत्र सं0-34/501 दिनांक 16.01.2023 हस्ताक्षरित एवं अहस्ताक्षरित के अवलोकन से यह विदित होता है कि दोनों सिलिंग प्रमाण पत्रों में दर्ज किए गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त दोनों प्रमाण पत्रों में दिया गया विवरण संबंधित विद्युत मीटर्स की एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है। चैक मीटर फाइनल रिपोर्ट के आधार पर पाया गया है कि मैन मीटर द्वारा चैक मीटर की तुलना में 21.89 प्रतिशत कम विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि सही प्रतीत होती है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह भी विदित होता है कि परिवादी को चैक मीटर फाइनल का सिलिंग प्रमाण पत्र समय पर विपक्षी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है जो कि सही नहीं है तथा विपक्षी विभाग द्वारा इस संबंध में बरती गई लापरवाही हेतु जिम्मेदार कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

विपक्षी विभाग द्वारा चैक मीटर के फाइनल रिपोर्ट के आधार पर परिवादी को दिनांक 06.03.2022 से दिनांक 16.01.2023 के मध्य मीटर द्वारा 21.89 प्रतिशत कम विद्युत खपत दर्ज किए जाने के सापेक्ष पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार धनराशि रू0 1,08,587.00 का राजस्व निर्धारण किया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है। चैक मीटर फाइनल करने के उपरांत मैन मीटर को हटाते हुए चैक मीटर को परिवादी के संयोजन पर स्थापित किया गया है जिसकी शुद्धता जांचने हेतु विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 24.03.2023 को मै0 वाईएमपीएल के माध्यम से जांच कराई गई जिसमें उक्त मीटर सही पाया गया है। विपक्षी प्रतिनिधि द्वारा मंच के सुनवाई के दौरान यह भी अवगत कराया गया कि परिवादी के परिसर पर स्थापित किया गया चैक मीटर एचपीएल कंपनी का है जिसकी जांच कंपनी द्वारा एनएबीएल लैब से कराई गई है। परिवादी का यह कथन कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 24.01.2023 को उनके मीटर सं0-51367650 पर टेस्टिंग मीटर लगाया गया, जिसमें एक्यूरेसी चैक माइनस 0.07 प्रतिशत, मीटर पावर फेक्टर 0.998, रिमार्क में-मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, भ्रामक प्रतीत होता है। क्योंकि उक्त मीटर को विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 24.03.2023 को चैक किया गया, जिसमें मीटर सही पाया गया है। हालांकि उक्त मीटर टेस्टिंग का परिवादी के विरूद्ध किए गए राजस्व निर्धारण से कोई सरोकार नहीं है। उक्त परीक्षण से यह विदित होता है कि परिवादी के परिसर पर विपक्षी द्वारा वर्तमान में लगाया गया मीटर (चैक मीटर) दोषमुक्त है।

क्रमांक........05

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

09/11/2023 | 09/11/2023

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail–cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 115 / 2023

परिवाद पंजीकरण का दिनांक–16.08.2023
परिवाद के निस्तारण का दिनांक–09.11.2023

परिवादी :– अंकुश पुत्र जोध सिंह निवासी ग्राम डेलना, पो0 झबरेडा तहसली रूडकी, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड ग्रामीण रूडकी।

कोरम दिनांक–16.10.2023 **आदेश दिनांक– 09.11.2023**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

परिवाद के तथ्य– परिवादी द्वारा परिवादी पत्र कागज सं0 1 मय संलग्न 2 व 3 प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में परिवाद के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक नलकूप के संयोजन हेतु दिसम्बर 2022 में आवेदन किया गया था जिसे देरी के साथ 21.12.2022 को रजिस्ट्रेशन नं. 525211222006 के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया गया। परिवादी द्वारा UPCL की डिमांड के अनुसार रु.14,600/– नये संयोजन हेतु शुल्क दिनांक 03.01.2023 को जमा कर दिया गया था जिसके बाद विभाग द्वारा परिवादी की लाईन बनाकर ट्रांसफार्मर लगाकर संयोजन जारी करना था। परन्तु विभाग ने एस्टीमेंट रिवाइज करने का बहाना बनाकर देरी पर देरी की गयी जबकि UERL के TL Regulation Act 2020 के नियमानुसार तीन माह के भीतर UPCL को कनेक्शन जारी करना था जोकि आज दिनांक तक भी नही किया गया। परिवादी द्वारा मंच से अनुरोध किया गया कि UERC के LT Regulation Act 2020 के अनुसार विभाग को कनेक्शन जारी करने में हुई देरी की पेनल्टी लगाकर नियमानुसार प्रार्थी को क्षतिपूर्ति धनराशि UPCL से दिलवाई जाये।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी ने अपना जवाब कागज सं0 15 मय संलग्नक कागज सं0 16 लगायत 23 प्रस्तुत कर कथन किया है कि परिवादी का आवेदन किया जाना स्वीकार है जिसका पंजीकरण दिनांक 21.12.2022 को पंजीकृत सं. 522211222006 होने का कथन किया तथा स्वीकार किया है कि सभी औपचारिकता के उपरान्त वांछित धनराशि 14,600/– रू0 दिनांक 03.01.2023 को जमा की गयी है। कथन किया गया है कि लाईन निर्माण कार्य आरम्भ करते ही अर्जुन सिंह पुत्र अनिल कुमार निवासी डेलना के द्वारा क्षेत्रीय अवर अभियन्ता को लाईन निर्माण स्थल पर विवाद होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। उक्त पर परिवादी द्वारा निर्धारित लाईन दूसरी और से बनाने

हेतु मौखिक रूप से आग्रह किया। आवेदक के मौखिक आग्रह पर RAPDRP System द्वारा दोबारा से प्राक्कलन करते समय तकनीकी कारण से रिपेमेंट के स्थान पर पैकेज प्रिपरेशन पर चला गया। क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 20.07.2023 को उक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में खण्ड कार्यालय से RAPDRP को आवेदन रिपेमेंट पर वापस करने हेतु ईमेल किया गया। कार्यालय द्वारा लगातार प्रयास करने के फलस्वरूप उक्त प्रक्रिया दिनांक 24–08–2020 को आवेदन श्री अंकुश पुत्र जोध सिंह ग्राम डेलना पो0 झबरेडा तहसील रुडकी के पास दोबारा शुल्क जमा करने हेतु प्रेषित किया। श्री अंकुश पुत्र जोध सिंह ग्राम डेलना पो0 झबरेडा तहसील रुडकी जिला हरिद्वार द्वारा दूसरी ओर से लाईन निर्माण का बढा हुआ शुल्क 12,750/–रु0 जमा करने के पश्चात प्रक्रिया पूर्ण कर लाईन निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। उक्त प्रकरण के सम्बन्धित लिखित उत्तर समस्त अभिलेखो एवं उचित तथ्यों सहित माननीय मंच के समक्ष सादर प्रेषित है।

–:विवेचना:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकार उपस्थित आये तथा पक्षकारो को सुना गया। परिवादी ने मंच को बताया कि उनकी विद्युत लाईन बनकर तैयार हो गयी। मीटर अभी नही लगा है, विपक्षी द्वारा मीटर लगाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त स्थिति में परिवादी की शिकायत का विपक्षी द्वारा समाधान कर दिया गया है। केवल विपक्षी द्वारा विद्युत मीटर का संस्थापित किया जाना शेष है। तदानुसार परिवाद का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–आदेश–

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह तैयार की गई विद्युत लाईन में विद्युत सप्लाई जारी कर विपक्षी के परिसर में नियमानुसार विद्युत मीटर संस्थापित करें। आदेश का अनुपालन 30 दिन के अंदर सुनिश्चित किया जाकर अनुपालन दिनांक के सात दिन के अंदर सूचना मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

9/11/23	09/11/2023	09/11/2023
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तु)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट–इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 154 / 2023

परिवादी :– श्री फुरकान अहमद पुत्र स्व0 तुफैल अहमद, सफरपुर, रामनगर, रुड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रुड़की।

कोरम | आदेश दिनांक 09.11.2023

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी के तथ्य– परिवादी पत्र (कागज सं0 1) के अनुसार संक्षेप में परिवादी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का ट्यूबवेल संयोजन संख्या RM900F3711051 है, जो कि परिवादी के पिता तुफैल अहमद के नाम से है। इस विद्युत कनेक्शन पर मीटर सही कार्य नही कर रहा है, जिससे सिंचाई के लिए पानी नही मिल पा रह है। इस संबंध में विभाग को कई बार लिखित एवं मोखिक रूप से अवगत कराया गया लेकिन आज तक मेरी इस समस्या पर कोई गौर नही किया गया। मंच से अनुरोध है किया गया कि विभाग को शीघ्र आदेशित करने का कष्ट करे कि प्रार्थी को विद्युत आपूर्ति बहाल की जाए (कागज सं0 1 के साथ 2 व 3) संलग्न है।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी की ओर से (काजग सं0–10) प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के संयोजन RM900F3711051 पर उनके द्वारा बकाया बिल जमा कराने पर उपरोक्त लाइन का एक फेज का जला हुआ तार ठीक कर दिनांक 12.10.2023 को उनकी समस्या का निस्तारण किया जा चुका है।

विवेचना

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुनवाई के समय विपक्षी उपस्थित आये उन्हाने मंच को अवगत कराया की परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है। परिवादी द्वारा दूरभाष पर समाधान किये जाने कि पुष्टि की है। परिवादी संतुष्ट है। उपरोक्त के दृष्टिगत परिवाद का निस्तारण किया जाता है।

क्रमशः......02

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

वाद सं0–154 / 2023
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित करने के आवश्यकता नही है। पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail-cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 173/2023

परिवाद पंजीकरण का दिनांक–07.10.2023
परिवाद के निस्तारण का दिनांक–09.11.2023

परिवादी :– महेश कुमार पुत्र स्व0 बाबूराम निवासी ग्राम व पो0 बादशाहपुर, थाना पथरी, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– 1. श्रीमती निशा सैनी पत्नी श्री रविन्द्र कुमार सैनी निवासी ग्राम व पो0 बादशाहपुर, थाना पथरी, जिला हरिद्वार। हाल निवासी प्लाट सं0 17, कृष्णलोक कालोनी, जगजीतपुर तहसील व जिला हरिद्वार।

2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड लक्सर, हरिद्वार।

3. रविन्द्र कुमार सैनी पुत्र स्व0 बाबूराम निवासी ग्राम व पो0 बादशाहपुर, थाना पथरी, जिला हरिद्वार। हाल निवासी प्लाट सं0 17, कृष्णलोक कालोनी, जगजीतपुर तहसील व जिला हरिद्वार।

कोरम दिनांक–07.10.2023	**आदेश दिनांक– 09.11.2023**
श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

परिवाद के तथ्य– परिवादी द्वारा परिवाद पत्र कागज सं0 1 ता 4 प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में परिवाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी सं0 1 ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए सत्यता के विपरीत जाकर असत्य, मिथ्या व भ्रामक कथनो के आधार पर परिवाद सं0 56/2023 मान्य उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिस पर माननीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हरिद्वार द्वारा दिनांकित 13.06.2023 को निर्णीत किया, जिसकी जानकारी प्रार्थी को माह अगस्त के अन्तिम सप्ताह में हुई। परिवादी ने कथन किया है कि विपक्षी सं0 1 ने बडी चालाकी से प्रश्नगत सम्पत्ति को अपनी पैत्रक सम्पत्ति बताते हुए एक विद्युत कनेक्शन सं0 210201232494 विद्युत विभाग सं0 2 को प्रस्तुत किया। जबकि प्रश्नगत सम्पत्ति में विपक्षी सं0 1 का कोई मतलब या वास्ता कानूनन नही है। बल्कि प्रश्नगत सम्पत्ति के मालिक काबिज प्रार्थी व

विपक्षी सं0 1 के पिता स्व0 बाबूराम चले आते थे, जो सरकारी स्कूल में मास्टर के पद पर कार्यरत थे।

परिवादी ने कथन किया है कि विपक्षी स0 3 के पिता की मृत्यु के पश्चात माता के कहे सुने में प्रार्थी द्वारा अपनी ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर विपक्षी सं0 3 को मृतक आश्रित कोटे में पिता के स्थान पर नौकरी प्राप्त करायी।

विपक्षी सं0 1 की सास व प्रार्थी व विपक्षी सं0 3 की माता स्व0 बाबूराम की समस्त कृषि भूमि विक्रय कर जो धनराशि प्राप्त हुई से दिनाकिंत 13.05.2016 को एक आवासी भूखण्ड जिसका प्लाट सं0 17 कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट स्थित कृष्णलोक कालोनी जगजीतपुर हरिद्वार में खरीद लिया था तथा बची हुई उक्त धनराशि से प्रश्नगत प्लाट सं0 17 पर एक भव्य मकान का निर्माण करया और विपक्षी सं0 1 व 3 श्रीमती सोमी देवी के साथ मकान निर्माण से ही निवास करते चले आते हैं। प्रार्थी को प्रश्नगत कृषि भूमि बेचकर कोई हिस्सा अदा नही किया गया है। जिस कारण विपक्षी सं0 1 के सास ने गांव के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष बटवारा कर गांव का मकान व घेर प्रार्थी को दे दिया और जगजीतपुर वाली सम्पत्ति विपक्षी सं0 1 व 3 के कब्जे, रिहायश में चली आती है।

प्रार्थी के गांव के मकान व घेर जिस पर प्रार्थी का विद्युत कनेक्शन सं0 40102791551 सुचारू रूप से चला आता है। विपक्षी सं0 1 ने विपक्षी सं0 2 व 3 के साथ साज करके असत्य, मिथ्या कथनो के आधार पर मंच के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर एक ही सम्पत्ति पर बिना किसी आधार के दूसरा विद्युत कनेक्शन सं0 210201232494 सुचारू कर लिया है। जिसका अधिकार विपक्षीगणो को प्राप्त नही है। जिस कारण विपक्षी सं0 1 का विद्युत कनेक्शन सं0 210201232494 निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी सं0 1 व 3 ने अपनी माता सोमी देवी जो कि विपक्षी सं0 3 के कहे सुने में है को अपने साथ साज में मिलाकर एक वाद सं0 7/2019 बउनवान श्रीमती सोम्मी बनाम महेश आदि माननीय न्यायालय उप जिला अधिकारी महोदय हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत कर एकपक्षीय रूप से दिनाकिंत 10.11.2022 को निर्णीत करा लिया है। जिसकी बावत नोटिस प्रार्थी को प्राप्त नही हुआ है तथा जानकारी प्राप्त होते ही प्रार्थी द्वारा आदेश दिनाकिंत 10.11.2022 के खिलाफ माननीय जिला अधिकारी महोदय हरिद्वार के समक्ष अपील सं0 8/2022 बउनवान महेश आदि बनाम श्रीमती सोम्मी देवी योजित की जो वर्तमान में विचाराधीन चली आती है जिसमें सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 26.09.2023 चली आती है।

परिवादी ने कथन किया कि विपक्षी सं0 1 व 3 अपने परिवाद के साथ 2016 से वर्तमान तक प्लाट स0 17, कृष्णलोक कालोनी, जगजीतपुर तहसील व जिला हरिद्वार निवास करती चली आती है जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी सं0 1 व 3 प्रश्नगत सम्पत्ति रिहायशी मकान सं0 स्थित बादशाहपुर में कोई सरोकार नही है। जिस कारण भी विपक्षी सं0 1 विद्युत कनेक्शन सं0 210201232494 निरस्त होने योग्य है।

विपक्षी का जवाब– विपक्षी द्वारा अपना जवाब कागज सं0 9 प्रस्तुत कर कथन किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा वर्णित परिसर पर नवीन संयोजन माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हरिद्वार के सम्मुख दायर वाद सं0 56/2023 के निस्तारण हेतु दिनांक 20.06.2023 को निर्गत आदेशो के अनुपालन में निर्गत किया गया है।

–:विवेचना:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पक्षकारो को सुना गया। प्रश्नगत परिवाद में परिवादी द्वारा परिवाद पत्र मे लिखे गये कथन व दर्शाये गये तथ्य इस फोरम के समक्ष पोषणीय नही है। परिवादी द्वारा मुख्यरुप से इस मंच द्वारा निस्तारित परिवाद स0–56/2023 के निर्णय के आधार पर जारी कथित कनेक्शन स0–210201232494 पर एतराज जताया है। परिवाद स0–56/2023 का निर्णय आदेश तथ्यो एवं साक्ष्य पर आधारित निर्णय है। इस फोरम को पारित किये गये किसी निर्णय पर पुनर्विचार करने का अधिकार नही है। तदोनुसार परिवादी का निस्तारण किया जाता है।

–आदेश–

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार मे संचित हो।

09/11/2023 | 09/11/2023

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट–इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 160 / 2023

परिवादी :– श्री शौकेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेशचन्द, शक्ति नगर, बहादराबाद, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम आदेश दिनांक 20.11.2023

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शौकेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेशचन्द, शक्ति नगर, बहादराबाद, जिला हरिद्वार द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन सं0–JW21224148470 के संदर्भ में कथन किया गया है कि दिनांक 14.06.2023 को विभाग द्वारा उन्हें फोन पर मैसेज द्वारा सूचित किया गया कि उनका बिल रू0 19474.00 का बना है। जिसके बाद उनके द्वारा दिनांक 13.06.2023 को चैक मीटर हेतु शुल्क रू0 118.00 जमा किया गया। विभाग द्वारा चैक मीटर लगवाने के पश्चात दिनांक 17.08.2023 को चैक मीटर फाइनल किया गया, जिसमें मात्र 11 यूनिट का अंतर पाया गया। विभाग द्वारा चैक मीटर उतारा गया तथा पुराने मीटर को सही बताया गया। दिनांक 17.08.2023 को उनके द्वारा पूर्ण बिल की धनराशि रू0 19474.00 जमा कर दिया गया, परंतु दिनांक 13.09.2023 को पुनः उन्हें रू0 36159.00 का बिल प्राप्त हुआ, जिससे वह संतुष्ट नहीं हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करा दिया जाए तथा मीटर बदलवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–493 दिनांक 27.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी द्वारा चैक मीटर शुल्क रू0 118.00 दिनांक 12.06.2023 को जमा किया गया। दिनांक 19.06.2023 को परिवादी के संयोजन पर चैक मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 17.08.2023 को चैक मीटर फाइनल किया गया। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का मीटर मात्र दो प्रतिशत धीमा पाया गया। वर्तमान में परिवादी के मीटर पर 27567 रीडिंग दर्ज है। परिवादी को मीटर रीडिंग के आधार पर विपक्षी विभाग द्वारा सही बिल जारी किए गए हैं।

मंच के समक्ष परिवादी श्री शौकेन्द्र कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन एवं विपक्षी विभाग के लिखित उत्तर से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 29.10.2015 से 02 किलोवाट भार में गतिमान है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित होता है कि परिवादी को दिनांक 16.04.2023 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जिसका भुगतान परिवादी द्वारा किया गया है। दिनांक 10.06.2023 को मीटर रीडिंग 18977 से 26347 तक की गई विद्युत खपत 7370 यूनिट के स्थान पर सिलिंग आधार पर

क्रमशः.....02

2893 यूनिट का बिल जारी किया गया है। दिनांक 23.08.2023 एवं दिनांक 13.09.2023 को सिलिंग आधार पर कमशः 3892 तथा 1104 यूनिट के बिल जारी किए गए हैं। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा गत वर्ष (दिनांक 11.04.2022 से 16.04.2023) में औसतन लगभग 270 यूनिट प्रतिमाह विद्युत खपत की गई, जबकि दिनांक 16.04.2023 से दिनांक 10.06.2023 तक की अवधि में प्रतिमाह लगभग 3685 (7370 / 2) यूनिट की खपत दर्ज की गई है तथा दिनांक 10.06.2023 से दिनांक 13.09.2023 के मध्य प्रतिमाह लगभग 380 यूनिट की खपत दर्ज की गई है। उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि दिनांक 16.04.2023 से 10.06.2023 के मध्य लगभग दो माह की अवधि में, गत 12 माह में की गई औसत विद्युत खपत की तुलना में लगभग 1264 प्रतिशत अधिक विद्युत की खपत दर्ज की गई है जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मंच द्वारा दिनांक 16.10.2023 को विपक्षी विभाग से प्रश्नगत मीटर की एमआरआई रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 5085 दिनांक 01.11.2023 के माध्यम से वांछित एमआरआई रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। उक्त रिपोर्ट के अध्ययन करने पर मंच ने पाया कि प्रश्नगत मीटर पर दिनांक 01.05.2023 से दिनांक 01.06.2023 के मध्य एक माह में मीटर द्वारा 7157.5 यूनिट विद्युत खपत दर्ज की गई है, जबकि इसी अवधि में दिनांक 11.05.2023 को अधिकतम विद्युत भार 1.760 किलोवाट दर्ज किया गया है तथा विद्युत उपभोग की अवधि 263 घंटे एवं 47 मिनट दर्ज किया गया है। एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 01.11.2023 तक निम्नानुसार विभिन्न पैरामीटर्स दर्ज की गई :—

दिनांक	विद्युत खपत (kWH)	मीटर रीडिंग	अधिकतम भार (kW)	अधिकतम भार दिनांक	आपूर्ति अवधि (Day: Hrs:Min)
01.03.2023	156.4	18654.6	2.720	08.02.2023	06:16:28
01.04.2023	202.6	18857.2	2.080	28.03.2023	28:01:04
01.05.2023	256.0	19113.2	2.260	22.04.2023	26:16:22
01.06.2023	7157.5	26270.7	1.760	11.05.2023	10:23:42
01.07.2023	264.3	26535.0	1.700	04.06.2023	26:22:41
01.08.2023	335.1	26870.1	2.540	08.07.2023	12:07:34
01.09.2023	367.7	27237.8	2.620	08.08.2023	24:16:34
01.10.2023	350.0	27587.8	2.260	17.09.2023	25:03:43
01.11.2023	217.6	27805.4	2.420	26.10.2023	12:03:38

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि दिनांक 01.05.2023 से दिनांक 01.06.2023 के मध्य दिनांक 11.05.2023 को अधिकतम भार 1.760 किलोवाट दर्ज की गई तथा उक्त अवधि में 263 घंटे एवं 47 मिनट के लिए विद्युत का उपभोग किया गया। यदि उक्त अवधि में दर्ज अधिकतम विद्युत भार 1.760 किलोवाट का उपभोग 264 घंटों के लिए भी किया जाए तो भी दिनांक 01.05.2023 से दिनांक 01.06.2023 के मध्य की गई विद्युत खपत निम्नानुसार होगी :—

विद्युत खपत = विद्युत भार (केडब्लू) × विद्युत उपभोग के घंटे (एच)

= 1.760 × 264

= 464.64 (केडब्लूएच)

क्रमशः......03

जबकि एमआरआई रिपोर्ट के अनुसार उक्त अवधि (दिनांक 01.05.2023 01.06.2023) में 7157.5 केडब्लूएच विद्युत खपत दर्शायी गई है, जो कि व्यवहारिक एवं तकनीकी दृष्टि से सही प्रतीत नहीं होती है।

अतः मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को जारी विद्युत बिल दिनांक 10.06.2023, दिनांक 23.08.2023 तथा दिनांक 13.09.2023 को निरस्त करते हुए दिनांक 10.06.2023 को जारी बिल को इससे पूर्व जारी तीन बिलिंग चक्र के औसत आधार पर तथा दिनांक 23.08.2023 एवं दिनांक 13.09.2023 को जारी बिलों को तद्समय दर्ज मीटर रीडिंग के आधार पर अर्थात दिनांक 23.08.2023 के बिल को आईआर—26347 तथा एफआर—27127 एवं दिनांक 13.09.2023 के बिल को आईआर—27127 तथा एफआर—27387 के अनुसार संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को जारी विद्युत बिल दिनांक 10.06.2023, दिनांक 23.08.2023 तथा दिनांक 13.09.2023 को निरस्त करते हुए दिनांक 10.06.2023 को जारी बिल को इससे पूर्व जारी तीन बिलिंग चक्र के औसत आधार पर तथा दिनांक 23.08.2023 एवं दिनांक 13.09.2023 को जारी बिलों को तद्समय दर्ज मीटर रीडिंग के आधार पर यानी की दिनांक 23.08.2023 के बिल को आईआर—26347 तथा एफआर—27127 एवं दिनांक 13.09.2023 के बिल को आईआर—27127 तथा एफआर—27387 के अनुसार संशोधित बिल जारी करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।

(संजय कुमार)	20/11/2023 (जी0 एस0 धर्मसत्तू)	20/11/2023 (सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 161 / 2023

परिवादी :– श्री भगत सिंह पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल, रानीमाजरा, पो–शाहपुर, शीतला खेड़ा, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, लक्सर, हरिद्वार।

कोरम

आदेश दिनांक 20.11.2023

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री भगत सिंह पुत्र स्व0 श्री श्यामलाल, रानीमाजरा, पो–शाहपुर, शीतला खेड़ा, जिला हरिद्वार द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन सं0–LK21422108409 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उन्हें दिसंबर 2022 तक सही बिल जारी किए गए हैं, लेकिन माह फरवरी 2023 से विद्युत बिल तीन से चार गुना बढ़ाकर जारी किए गए हैं। जिसकी शिकायत उनके द्वारा ट्रोल फ्री नंबर 1912 पर भी की गई, जिस पर कोई भी उचित कार्यवाही नहीं हो सकी। चैक मीटर लगवाए जाने पर भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका। इसके बाद पूरी तरह से जानकारी निकलवाने पर पता चला कि मीटर में फरवरी 2023 में अपने आप जंप मारा और बिल तीन से चार गुना बढ़ता चला गया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–517 दिनांक 27.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के उक्त संयोजन पर दिनांक 03.08.2023 को चैक मीटर सं0 यू260767 स्थापित किया गया तथा दिनांक 29.08.2023 को चैक मीटर फाइनल किया गया। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का मीटर सही पाया गया। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को लगातार मीटर यूनिट के आधार पर बिल जारी किए जा रहे हैं तथा परिवादी द्वारा माह दिसंबर 2022 में पार्ट पेमेंट के माध्यम से धनराशि रू0 15000.00 जमा किया गया है। उपरोक्त आधार पर वाद का निस्तारण किए जाने का अनुरोध किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी के प्रतिनिधि श्री आशीष कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री प्रवेश कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन एवं विपक्षी विभाग के लिखित उत्तर से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 05.10.2007 से 01 किलोवाट भार में गतिमान है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित होता है कि परिवादी को दिनांक 17.02.2023 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 17.02.2023 को एमयू आधार पर 512 यूनिट का बिल जारी

क्रमशः.....02

किया गया है जो कि पूर्व के महिनों में परिवादी द्वारा की गई विद्युत खपत के सापेक्ष सही प्रतीत होता है। दिनांक 20.04.2023 को जारी बिल में लगभग दो माह की विद्युत खपत 7278 (21392-14114) यूनिट दर्शाते हुए सिलिंग पर 1630 यूनिट का बिल जारी किया गया है। तदोपरात दिनांक 13.06.2023 तथा दिनांक 09.08.2023 को भी परिवादी को सिलिंग के आधार पर क्रमशः 1420 एवं 1499 यूनिट का बिल जारी किया गया है जिनको परिवादी द्वारा विवादित ठहराया गया है। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 14.02.2021 से दिनांक 09.02.2022 के मध्य लगभग 12 महिनों में प्रतिमाह औसतन 135 यूनिट तथा दिनांक 17.04.2022 से दिनांक 20.04.2023 के मध्य लगभग 12 महिनों में औसतन 176 यूनिट प्रतिमाह विद्युत खपत की गई है, परंतु दिनांक 20.04.2023 को जारी बिल में लगभग दो माह की विद्युत खपत 7278 यूनिट दर्शायी गई है जो कि उपरोक्तानुसार उल्लेखित गत 24 महिनों की तुलना में काफी अत्यधिक है, जिसको सही नहीं ठहराया जा सकता है।

मंच द्वारा दिनांक 07.10.2023 को प्रश्नगत मीटर की एमआरआई रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के विपक्षी विभाग को निर्देश दिए गए ताकी विवादित बिलों की अवधि में मीटर पर दर्ज विद्युत खपत, मीटर रीडिंग, अधिकतम भार तथा उपभोग की अवधि का अध्ययन मंच द्वारा किया जा सके। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 566 दिनांक 13.10.2023 के माध्यम से प्रश्नगत मीटर की एमआरआई रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में असमर्थता बताई गई। मंच के निर्देश पर विपक्षी विभाग द्वारा बताया गया कि परिवादी के मीटर पर दिनांक 27.10.2023 को मीटर रीडिंग 22714 दर्ज पाई गई है। इस प्रकार परिवादी के मीटर पर दर्ज मीटर रीडिंग के अनुसार दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 13.06.2023 के मध्य लगभग दो माह की अवधि में 358 यूनिट तथा दिनांक 13.06.2023 से दिनांक 09.08.2023 तक लगभग दो माह में 459 यूनिट एवं दिनांक 09.08.2023 से दिनांक 27.10.2023 के मध्य लगभग दो माह 18 दिन में 515 यूनिट विद्युत खपत दर्ज की गई है। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा वर्तमान में की जा रही औसत विद्युत खपत लगभग 410 यूनिट के सापेक्ष प्रश्नगत अवधि में 1675.12 प्रतिशत अधिक दर्शायी गई है, जिसे किसी भी दृष्टि से सही नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 20.04.2023, दिनांक 13.06.2023 तथा 09.08.2023 को जारी विद्युत बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 20.04.2023 के बिल को पूर्व में जारी तीन बिलिंग चक्रों की औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित किए जाने की आवश्यकता है तथा दिनांक 13.06.2023 को जारी बिल को आईआर-21392 एवं एफआर-21740 तथा दिनांक 09.08.2023 को जारी बिल को आईआर-21740 एवं एफआर-22199 दर्शाते हुए संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 20.04.2023, दिनांक 13.06.2023 तथा 09.08.2023 को जारी विद्युत बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 20.04.2023 के बिल को पूर्व में जारी तीन बिलिंग चक्रो की औसत विद्युत खपत के आधार पर तथा दिनांक 13.06.2023 को जारी बिल को आईआर-21392 एवं एफआर-21740 तथा दिनांक 09.08.2023 को जारी बिल को आईआर-21740 एवं एफआर-22199 दर्शाते हुए संशोधित बिल जारी करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।

20/11/2023

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसक्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80,</u>

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 169 / 2023

परिवादी :– श्रीमती मरियम पत्नी श्री फुरकान, निकट बिस्मिला होटल, दादूपुर, गोविन्दपुर, बहादराबाद, हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम आदेश दिनांक 20.11.2023

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मरियम पत्नी श्री फुरकान, निकट बिस्मिला होटल, दादूपुर, गोविन्दपुर, बहादराबाद, हरिद्वार द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन सं0–JW2126037124 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनके संयोजन / बिल पर मीटर संख्या 30675507 दर्शाया गया है, जबकि मौके पर मीटर संख्या–एसएस 15302515 स्थापित है तथा उन्हें आरडीएफ आधार पर बिल जारी किया गया है जो कि गलत है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–537 दिनांक 18.10.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी को संयोजन संख्या JW2126037124 दिनांक 29.07.2023 को निर्गत किया गया, जिस पर मीटर संख्या–30675507 स्थापित था तथा परिवादिनी के उक्त मीटर के रीडिंग के आधार पर बिल जारी किए गए। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के उक्त संयोजन पर स्थापित उक्त मीटर को दिसंबर 2022 में बदला गया तथा मीटर संख्या–एसएस 15302515 स्थापित किया गया। इस मीटर पर दिनांक 18.10.2023 को मीटर रीडिंग 1894 दर्ज पाई गई है, परंतु नया मीटर अभी सिस्टम में अपडेट नही हुआ है।

परिवादिनी द्वारा विपक्षी विभाग के लिखित जवाब के प्रतिउत्तर, दिनांक 01.11.2023 में कथन किया गया है कि विपक्षी विभाग के अनुसार परिवादिनी का संयोजन दिनांक 29.07.2023 को निर्गत किया गया, जिस पर मीटर संख्या–30675507 स्थापित किया गया। साथ ही विभाग का यह कथन कि प्रश्नगत संयोजन माह दिसंबर 2022 में मीटर संख्या–30675507 को बदल कर मीटर संख्या– एसएस 15302515 स्थापित किया गया, जो कि व्यवहारिक दृष्टि से गलत एवं झूठा कथन है। परिवादिनी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मीटर अपडेट करने में विपक्षी विभाग द्वारा लापरवाही बरती गई है तथा विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को प्रश्नगत मीटर को बदले जाने की सूचना नहीं दी गई और न ही मीटर सिलिंग पर उनके हस्ताक्षर कराए गए हैं।

मंच के समक्ष परिवादिनी श्रीमती मरियम उपस्थित नहीं हुई तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड

क्रमशः......02

अधिकारी श्री अमित तोमर उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन एवं विपक्षी विभाग के लिखित उत्तर से यह विदित होता है कि परिवादिनी के प्रश्नगत संयोजन पर पूर्व में मीटर संख्या-30675507 स्थापित था, परंतु वर्तमान में उक्त संयोजन पर मीटर संख्या-एसएस 15302515 स्थापित है, जिसकी पुष्टि परिवादिनी के वाद पत्र दिनांक 03.10.2023 तथा विपक्षी विभाग के पत्रांक 537 दिनांक 18.10.2023 से होती है। विपक्षी विभाग द्वारा प्रेषित पत्रांक 537 दिनांक 18.10.2023 द्वारा प्रश्नगत संयोजन की तिथि के सापेक्ष मीटर बदले जाने की तिथि व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है। विदित होता है कि उक्त पत्र में विपक्षी विभाग द्वारा संयोजन की तिथि त्रुटिवश गलत अंकित की है। इस संदर्भ में यह भी विदित होता है कि माह दिसंबर 2022 में मीटर बदले जाने के लगभग 10 माह के उपरांत भी विपक्षी विभाग द्वारा नये मीटर को परिवादिनी के अभिलेखों में अंकित/अपडेट नहीं किया गया है, जो कि विपक्षी विभाग द्वारा अपनी जिम्मेदारी के प्रति घोर लापरवाही बरते जाने का द्योतक है जिसे भविष्य में विपक्षी विभाग द्वारा न दोहराए जाने की नितांत आवश्यकता है।

अतः मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी के परिसर पर स्थापित नये मीटर को उसके अभिलेखों में दर्ज/अपडेट करते हुए पूर्व में जारी समस्त आरडीएफ बिलों को निरस्त करते हुए नये मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी के परिसर पर स्थापित नये मीटर को उसके अभिलेखों में दर्ज/अपडेट करते हुए पूर्व में जारी समस्त आरडीएफ बिलों को निरस्त करते हुए नये मीटर पर दर्ज वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।

20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत विहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं० 174/2023

परिवादी :– श्री चतर सेन पुत्र श्री चतन दास, ग्राम बिझौली, थाना कोतवाली मंगलौर, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम **आदेश दिनांक 20.11.2023**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी० एस० धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री चतर सेन पुत्र श्री चतन दास, ग्राम बिझौली, थाना कोतवाली मंगलौर, जिला हरिद्वार द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन सं0–RD2L222152207 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनका बिजली का बिल माह अगस्त 2020 तक सही रीडिंग के आधार पर प्राप्त हो रहे थे। माह फरवरी 2020 तक के बिलों का भुगतान उनके द्वारा कर दिया गया था। कोविड के समय से अगस्त 2020 तक का रू0 2408. 00 का भुगतान नहीं हो पाया था। दिनांक 23.10.2020 को अचानक 8233 यूनिट की विद्युत खपत बिलों में दर्शाया गया है। इस कम में उनके द्वारा दिनांक 23.12.2020 को चैक मीटर शुल्क जमा किया गया। विभाग द्वारा दिनांक 19.01.2021 को उनके संयोजन पर चैक मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 19. 03.2021 को चैक मीटर फाइनल करने पर उनका मीटर 40.28 प्रतिशत तेज पाया गया, परंतु विभाग द्वारा उनका बिल चैक मीटर रिपोर्ट के अनुसार अभी तक ठीक नहीं किया गया है तथा उनका विद्युत संयोजन नियम विरूद्ध विच्छेदित किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4413 दिनांक 19.10.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी के उक्त संयोजन पर दिनांक 19.01.2021 को चैक मीटर सं0 14905675 स्थापित किया गया तथा दिनांक 19.03.2021 को चैक मीटर फाइनल करने पर पाया गया कि परिवादी के प्रश्नगत मीटर द्वारा चैक मीटर की तुलना में 40.28 प्रतिशत अधिक विद्युत खपत दर्ज किया जा रहा है। प्रश्नगत मीटर को दोषपूर्ण मानते हुए चैक मीटर को उसके स्थान पर स्थापित रखा गया है। विपक्षी विभाग द्वारा यह भी कथन किया गया है कि परिवादी के विद्युत बीजकों को संशोधित करते हुए माह अक्टूबर 2023 में रू0 26819.00 का बिल जारी किया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी चतर सेन उपस्थित नहीं हुए तथा विपक्षी की ओर से कार्यालय सहायक श्री हैदर अली उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन एवं विपक्षी विभाग के लिखित उत्तर से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 03.01.2012 से 02 किलोवाट भार में गतिमान है।

क्रमशः......02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा माह अगस्त 2020 में जारी बिल रू0 2408.00 का भुगतान नहीं किया गया, जिसे परिवादी द्वारा भी अपने परिवाद पत्र में भी उल्लेखित किया गया है। परिवादी की शिकायत पर विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 19.01.2021 को चैक मीटर सं0 14905675 स्थापित किया गया तथा दिनांक 19.03.2021 को चैक मीटर फाइनल किया गया। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का मीटर दोषपूर्ण पाया गया, परंतु विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को जारी विद्युत बिलों को परिवादी द्वारा इस मंच में वाद पंजीकरण की तिथि दिनांक 12.10.2023 तक भी संशोधित नहीं किया गया, जो कि विपक्षी के स्तर पर मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विनियमों का घोर उल्लंघन है।

विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से यह विदित होता है कि प्रश्नगत मीटर के दोषपूर्ण रहने की अवधि में जारी बिलों को पूर्व के तीन बिलिंग चक्रों के औसत विद्युत खपत के आधार पर माह सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक के बिल संशोधित कर दिए गए हैं तथा मीटर बदले जाने के उपरांत मीटर द्वारा दिनांक 19.01.2021 से दिनांक 18.10.2023 तक दर्ज विद्युत खपत के औसत आधार पर माह अप्रैल 2021 से माह सितंबर 2023 तक के बिलों को संशोधित करते हुए रू0 109037.00 का समायोजन प्रदान किया गया है फलस्वरूप दिनांक 18.10.2023 को जारी विद्युत बिल धनराशि रू0 135856.00 को संशोधित करते हुए रू0 26819.00 का जारी किया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है।

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत विद्युत बिलों को नियमानुसार औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित करते हुए विलंब अधिभार शुल्क रहित बिल जारी कर दिया गया है तथा परिवादी की उक्त समस्या का समाधान कर दिया गया है।

इस प्रकरण में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के दोषपूर्ण मीटर के आधार पर जारी त्रुटिपूर्ण बिलों का समायोजन परिवादी को मार्च 2021 के स्थान पर अक्टूबर 2023 में काफी अधिक विलंब से प्रदान किया गया है, जो कि मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विनियमों का घोर उल्लंघन है। विपक्षी विभाग को चेतावनी दी जाती है कि वह भविष्य में मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विनियमों का समय पालन करना सुनिश्चित करे और संदर्भित प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले दोषी कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाए।

अतः विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20/11/2023	20/11/2023	20/11/2023
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 156 / 2023

परिवादी :– श्री जोगेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामसिंह, निवासी गली नं0 8 सुभाष नगर, रूडकी, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रूड़की।

कोरम **आदेश दिनांक 21.11.2023**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जोगेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामसिंह, निवासी गली नं0 8 सुभाष नगर, रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि उनके परिसर पर विद्युत संयोजन सं0–RM11117179146 नाम जोगेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामसिंह, निवासी गली नं0 8 सुभाष नगर, रूड़की, जिला हरिद्वार में 4.0 किलोवाट भार में स्थापित हैं, जिस पर विद्युत मीटर सं0 61947226 स्थापित है, परन्तु त्रुटिवश विद्युत बीजक में मीटर सं0 61947225 अंकित होकर आ रहा है जिस कारण विद्युत बीजक मीटर यूनिट के आधार पर न आकर एनआर में बिल जारी हो रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके परिसर पर स्थापित मीटर सं0 61947226 को उनके अभिलेखों में दर्ज करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब में कथन किया गया है कि परिवादी के संयोजन सं0–RM11117179146 पर वास्तविक मीटर सख्या संशोधित कर मीटर रीडिंग के आधार पर बिल बनाया जा चुका है। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री संलग्न की गयी है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री जोगेन्द्र कुमार स्वयं उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से श्री वीरेन्दग सिंह बिष्ट उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी के परिसर पर विद्युत संयोजन सं0– RM11117179146 दिनांक 08.09.2017 से 04 किलोवाट भार में स्वीकृत है। परिवादी को दिनांक 15.10.2023 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी के अभिलेखों में उनके परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर सं0–61947225 दर्ज किया गया है, जबकि वास्तव में उनके परिसर पर मीटर सं0–61947226 स्थापित है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के परिसर का स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वास्तविक मीटर संख्या 61947226 परिवादी के अभिलेखों में दर्ज कर दिया है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर विपक्षी द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख से होती है। सुनवाई के समय परिवादी ने कथन किया है कि बिलिंग अभिलेखो में विपक्षी द्वारा सही मीटर नम्बर दर्ज कर दिया गया है, जिससे परिवादी संतुष्ट है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है।

क्रमशः......02

वाद सं0-156/2023
(उ0शि0नि0मं0, हरिद्वार)

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/11/2023 21/11/2023

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 159 / 2023

परिवादी :– श्री जमशीद पुत्र श्री शमशुद्दीन, निवासी–काजी वाली गली, पांवधोई, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम आदेश दिनांक 21.11.2023

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

परिवादी श्री जमशीद पुत्र श्री शमशुद्दीन, निवासी–काजी वाली गली, पांवधोई, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– सं0 JW40728113121 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि परिवादी का उपरोक्त यह विद्युत कनेक्शन सं0 JW40728113121 जमशीद पुत्र शमशुद्दीन के नाम पर था जिसका मीटर बिल जमा न करने के कारण वर्ष 2017 में उतार लिया गया था। उनके द्वारा एसडीओ मैडम को कहा गया कि उनका बिल इतना नहीं होना चाहिए, इतना सुनकर एसडीओ मैडम ने उनके घर पर चैकिंग करवाई कि वह बिजली चोरी तो नही कर रहे हैं। जब से उनका मीटर उतरा है उन्होंने बिजली नहीं चलायी है। उनका मीटर उन्हें दिखाया जाये उसमें कितनी रीडिंग मौजूद हैं। दिखाकर उनकी तसल्ली करायें। उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया है और माता जी पहले ही लकवे की बीमारी से पीड़ित हैं। बिना बिजली के बहुत परेशानी हो रही है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिजली का मीटर रीडिंग को दिखाकर बिल ठीक करा दिया जाए, जिससे वह बिल को जमा कर सकें और उनकी बिजली चालू हो जाए। अब अगर उनके घर में कोई अनहोनी होती है तो एसडीओ मैडम आर्यनगर ज्वालापुर पूर्णतः जिम्मेदार होगी।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 576 दिनांक 13.10.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि माह 10 / 2019 उपभोक्ता का बिल मीटर यूनिट के आधार पर प्रेषित किया गया है। जिसके उपरान्त उपभोक्ता को माह 12 / 2019, 04 / 2020, 04 / 2022, 06 / 2022 तथा माह 09 / 2023 के उपरान्त एनआर. के आधार पर प्रेषित किये गये हैं।

मंच के समक्ष परिवादी श्री जमशीद उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से शिल्पी सैनी उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रश्नगत परिवाद 19.09.2023 को दर्ज हो कर विपक्षी जवाब हेतु दिनांक 29.09.2023 निर्धारित की गयी। नियत दिनांक 29.09.2023 विपक्षी की ओर से स्थगन कागज सं0 7 प्रस्तुत किया हुआ जिसमे लिखा है कि उपखण्ड अधिकारी, सूचना आयोग

क्रमशः......02

देहरादून गये हैं, स्थगन स्वीकृत हो कर दिनांक 06.10.2023 नियत की गई। नियत दिनांक 06.10.2023 को पुनः विपक्षी की ओर से कागज सं0 15 प्रस्तुत कर अपना जवाब दिया, जिसमें परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में लिखे गये किसी भी कथन का कोई उत्तर नही दिया गया। परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी ने कथन किया है कि बिल जमा न करने के कारण उसका विद्युत मीटर विभाग के अधिकारी व कर्मचारी द्वारा उतार लिया गया था। उक्त के सम्बन्ध में विपक्षी की ओर से कोई खण्डन नही किया गया। विपक्षी ने अपने जवाब कागज सं0 15 में कथन किया है कि माह 10/2019 तक उपभोक्ता का बिल मीटर यूनिट के आधार पर प्रेषित किया गया है जिसके उपरान्त उपभोक्ता को माह 12/2019, 04/2020, 04/2022, 06/2022 तथा 09/2023 के विद्युत बिल एन.आर. के प्रेषित किये गये हैं। विपक्षी द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कागज सं0 21, मीटर की फोटो, जो कि टीडीएस द्वारा ली गई बतायी गयी है, के अवलोकन से कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में कथन किया है कि एस.डी.ओ. मैडम द्वारा उनके घर की चैकिंग करायी थी। इस कथन का भी विपक्षी की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया, बल्कि सुनवाई के समय उपस्थित विपक्षी उपखण्ड अधिकारी शिल्पी सैनी द्वारा परिवादी के परिसर को निरीक्षण किया जाना स्वीकार किया और स्वीकार किया कि कोई मीटर व विद्युत लाईन परिवादी के परिसर पर नही पायी गयी। मीटर गुम होने के सम्बन्ध में विपक्षी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गयी हो ऐसा भी कोई प्रमाण पत्रावली पर विपक्षी की ओर से उपलब्ध नहीं है। विपक्षी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत कन्ज्यूमर हिस्ट्री से स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता द्वारा अन्तिम बार दिनांक 29.02.2016 को रू. 650/- का भुगतान रसीद सं0 3352329021602010010 के द्वारा विद्युत विभाग को किया गया है। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री से यह विदित होता है कि परिवादी को दिनांक 07.02.2019 तक लगातार एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तदोपरांत दिनांक 13.04.2019 से 01.10.2023 तक एनए/एमयू/एनआर के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। इस अवधि में दिनांक 22.10.2019 को एक मात्र एमयू आधार का बिल शून्य विद्युत खपत का जारी किया गया है। इस प्रकार विदित होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 07.02.2019 के पश्चात कोई भी विद्युत का उपभोग नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विदित होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 07.02.2019 तक ही संदर्भित विद्युत संयोजन से विद्युत का उपभोग किया गया है तथा इस तिथि तक रू0 28271.00 की बिल धनराशि एवं नियमानुसार देय अधिभार परिवादी द्वारा देय है।

अतः मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन संख्या- JW40728113121 को दिनांक 07.02.2019 को अस्थायी विच्छेदन की तिथि मानते हुए नियमानुसार स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही करते हुए परिवादी को अंतिम बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही विपक्षी विभाग द्वारा स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम देय धनराशि से परिवादी को अवगत कराया जाए तथा परिवादी द्वारा अंतिम बिल की देय धनराशि का भुगतान किए जाने के उपरांत नये संयोजन जारी करने की कार्यवाही भी किए जाने की आवश्यकता है।

क्रमशः......03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के संयोजन संख्या— JW40728113121 को, दिनांक 07.02.2019, अस्थायी विच्छेदन की तिथि मानते हुए नियमानुसार स्थायी विच्छेदन की कार्यवाही कर परिवादी को अंतिम बिल जारी करे। साथ ही परिवादी द्वारा अंतिम बिल की देय धनराशि का भुगतान किए जाने के उपरांत नये संयोजन जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।

(संजय कुमार)	21/11/2023 (जी0 एस0 धर्मसत्तू)	21/11/2023 (सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 162 / 2023

परिवादी :– श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम बहादरपुर जट, तहसील व जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम **आदेश दिनांक 21.11.2023**

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम बहादरपुर जट, तहसील व जिला हरिद्वार द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन सं0–JW21428023636 के संदर्भ में कथन किया गया है कि परिवादी का संयोजन उनके स्व0 पिता श्री सुरेन्द्र सिंह के नाम पर चला आ रहा है। परिवादी का विद्युत बिल रू0 एक हजार का आता था जिसे परिवादी द्वारा नियमित रूप से जमा किया जाता रहा है। उनकी विद्युत खपत बहुत कम है तथा घर पर एसी या हीटर आदि उपकरण नहीं हैं। उनका विद्युत का बिल माह जून 2021 में रू0 9244.00 का बहुत अधिक आया है, जिसे परिवादी द्वारा जमा कर दिया गया। बाद में परिवादी को लगातार लगभग रू0 9000.00 या उससे अधिक का बिल जारी किए गए जिस कारण परिवादी द्वारा उक्त बिलों को जमा नहीं किया गया गया। उनके द्वारा मीटर रीडिंग नोट करने पर पाया कि रीडिंग स्थिर है परंतु अचानक एक ही दिन में रीडिंग एक हजार यूनिट के आसपास बढ़ जाती थी। इस संबंध में विद्युत विभाग में शिकायत की गई परंतु विभाग द्वारा सुनवाई नहीं की गई तथा बिल ठीक नहीं किया गया। तदपश्चात उनके द्वारा चैक मीटर लगवाया गया, परंतु चैक मीटर स्थापित रहने की अवधि में मीटर पर कोई जंप दर्ज नहीं हो पाया। वर्तमान में उनका बिल रू0 61000.00 हो गया है, जो कि बहुत अधिक है, जिस कारण उनके द्वारा बिल जमा नहीं किया जा रहा है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल ठीक करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4500 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादी को माह फरवरी 2022 में मीटर रीडिंग के आधार पर 1683 यूनिट हेतु, वर्तमान बिल एवं रू0 19911.00 का बकाया सहित रू0 30443.00 का बिल जारी किया गया है। परिवादी द्वारा चैक मीटर हेतु शिकायत सं0 21502220050 अंकित कराई गई। इसी क्रम में विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 23.02.2022 को परिवादी के परिसर पर चैक मीटर संख्या–1530117 स्थापित किया गया तथा जिसे दिनांक 23.05.2022 को फाइनल किया गया तथा मैन मीटर मात्र तीन प्रतिशत तेज चलता पाया गया।

क्रमशः......02

मंच के समक्ष परिवादी श्री जितेन्द्र कुमार उपस्थित हुए तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री रूपेश कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन एवं विपक्षी विभाग के लिखित उत्तर से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 22.05.2001 से 01 किलोवाट भार में गतिमान है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित होता है कि परिवादी के संयोजन पर मीटर संख्या-50061227 दिनांक 18.05.2015 को स्थापित किया गया था जिसे परिवादी की शिकायत पर दिनांक 23.05.2022 को चैक मीटर संख्या-15301107 से बदला गया है जबकि चैक मीटर की तुलना में मीटर संख्या-50061227 मात्र तीन प्रतिशत तेज पाया गया था। परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर सं0-50061227 द्वारा मीटर स्थापित किए जाने की तिथि 18.05.2015 से दिनांक 09.06.2020 तक कुल 4866 यूनिट की विद्युत खपत की गई। इस आधार पर परिवादी द्वारा दिनांक 18.05.2015 से दिनांक 09.06.2020 तक लगभग 61 माह में औसतन प्रतिमाह लगभग 80 यूनिट बिजली की खपत दर्ज की गई तथा दिनांक 09.06.2020 से दिनांक 08.08.2021 तक कुल 1884 (6051-4866) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई। इस प्रकार परिवादी द्वारा दिनांक 09.06.2020 से दिनांक 08.08.2021 के मध्य प्रति माह औसतन लगभग 85 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई।

परिवादी द्वारा दिनांक 08.08.2021 से दिनांक 30.08.2022 तक कुल 8649 (14700-6051) यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई। इस प्रकार परिवादी द्वारा इस उक्त अवधि मे प्रति माह औसतन लगभग 665 यूनिट विद्युत खपत दर्ज की गई है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा दिनांक 18.05.2015 से दिनांक 18.08.2021 के मध्य लगभग 75 माह में औसतन विद्युत खपत की तुलना में दिनांक 08.08.2021 से दिनांक 30.08.2022 के मध्य लगभग 13 माह मे औसतन लगभग 720.98 प्रतिशत अधिक विद्युत खपत दर्ज की गई जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। परिवादी के परिसर पर पुनः दिनांक 30.08.2022 को मीटर बदला गया तथा मीटर संख्या-8070900 स्थापित किया गया। इस मीटर के अनुसार परिवादी द्वारा दिनांक 30.08.2022 से दिनांक 08.09.2023 तक लगभग 12 माह में कुल 1847 यूनिट विद्युत खपत की गई। अर्थात्त परिवादी द्वारा उक्त अवधि में प्रतिमाह औसतन 154 यूनिट विद्युत की खपत की गई। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादी द्वारा मीटर सं0-50061227 के माध्यम से दिनांक 18.05.2015 से दिनांक 30.08.2022 तक 87 माह में 14700 यूनिट विद्युत की खपत दर्ज की गई। अर्थात उक्त 87 माह में औसतन 167 यूनिट प्रतिमाह विद्युत खपत की गई जो कि वर्तमान में चल रहे मीटर में दर्ज विद्युत खपत के अनुसार औसतन विद्युत खपत 157 की तुलना में सही प्रतीत होती हैं।

क्योंकि चैक मीटर के फाइनल रिपोर्ट के आधार पर प्रश्नगत मीटर सही पाया गया, परंतु उपरोक्त विवरणों से प्रतीत होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के परिसर पर स्थापित प्रश्नगत मीटर की सही रीडिंग समय पर नहीं ली गई तथा परिवादी को शून्य विद्युत खपत के बिल भी जारी किए गए जो कि सही प्रतीत नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 16.06.2015 से दिनांक 08.06.2022 के मध्य जारी समस्त विद्युत बिलों को निरस्त करते हुए मीटर स्थापित किए जाने की तिथि दिनांक 18.05.2015 को आईआर-शून्य तथा दिनांक 23.05.2022 को एफआर-14700 दर्शाते हुए औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

क्रमशः........03

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 16.06.2015 से दिनांक 08.06.2022 के मध्य जारी समस्त विद्युत बिलों को निरस्त करते हुए मीटर स्थापित किए जाने की तिथि दिनांक 18.05.2015 को आईआर—शून्य तथा दिनांक 23.05.2022 को एफआर—14700 दर्शाते हुए औसत मासिक विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।

(संजीव कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार-249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 164 / 2023

परिवादी :- श्रीमती ममता मिश्रा पत्नी श्री महेश मिश्रा, एफ-84, गणपति धाम, फेस-3, जगजीतपुर, कनखल, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम आदेश दिनांक 21.11.2023

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती ममता मिश्रा पत्नी श्री महेश मिश्रा, एफ-84, गणपति धाम, फेस-3, जगजीतपुर, कनखल, जिला हरिद्वार द्वारा अपने विद्युत कनेक्शन सं0-JW21410157300 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनके विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर पर दिनांक 10.04.2023 को 14222 रीडिंग थी तथा पिछला बिल रू0 1813.00 मात्र का था, जिसका भुगतान उनके द्वारा कर दिया गया था, परंतु दिनांक 10.04.2023 से दिनांक 06.06.2023 तक उनके मीटर की यूनिट जमा करके 14222 से 21661 तक पहुंच गई तथा उनका बिल रू0 57250 का जारी किया गया। परिवादिनी द्वारा कथन किया गया है कि उनका बिल कभी भी रू0 3000.00 से अधिक का नहीं बना। उनके यहां एसी या भारी लोड वाली वस्तु नहीं है। मीटर की त्रुटि के कारण ही मीटर की रीडिंग दो महिने में 7339 यूनिट आगे बढ़ गई है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके पिछले विद्युत उपभोग को देखते हुए उनका बिल ठीक करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या-4661 दिनांक 07.10.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी को माह जून 2023 में मीटर रीडिंग के आधार पर 7339 यूनिट के सापेक्ष रू0 50965.00 का बिल जारी किया गया। परिवादिनी द्वारा चैक मीटर हेतु दिनांक 07.06.2023 को शिकायत संख्या 20706230280 दर्ज करवाई गई। इसी कम में परिवादिनी के विद्युत संयोजन पर दिनांक 09.06.2023 को चैक मीटर संख्या एस 96214109 स्थापित किया गया तथा दिनांक 14.08.2023 को चैक मीटर फाइनल किया गया। चैक मीटर की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार परिवादिनी का मीटर मात्र चार प्रतिशत तेज पाया गया। तद्नुसार परिवादिनी के विद्युत बिल को संशोधित करते हुए रू0 1181.00 का समायोजन प्रदान किया गया।

मंच के समक्ष परिवादिनी श्रीमती ममता मिश्रा उपस्थित हुई तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री रूपेश कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन एवं विपक्षी विभाग के लिखित उत्तर से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 14.07.2017 से 02 किलोवाट भार में गतिमान है।

क्रमशः......02

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित होता है कि परिवादिनी को दिनांक 10.04.2023 तक एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जिसका भुगतान परिवादिनी द्वारा किया गया है। दिनांक 06.06.2023 को एमयू आधार पर, मीटर रीडिंग 14222 से 21561 दर्शाते हुए कुल 7339 यूनिट का बिल जारी किया गया है, जिसको परिवादिनी द्वारा विवादित ठहराया गया है। परिवादिनी के बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा दिनाक 07.04.2022 से दिनांक 19.04.2023 तक लगभग 12 माह में औसतन प्रतिमाह औसतन 242 यूनिट प्रतिमाह विद्युत खपत की गई, जबकि दिनांक 10.04.2023 से दिनांक 06.06.2023 तक की लगभग दो माह की अवधि में प्रतिमाह औसतन 3670 यूनिट की खपत दर्ज की गई है जो कि गत 12 माह के औसत विद्युत खपत के सापेक्ष 1416.52 प्रतिशत अधिक है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मंच द्वारा दिनांक 26.10.2023 को विपक्षी विभाग से प्रश्नगत मीटर की एमआरआई रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के आदेश दिए गए। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 5084 दिनांक 01.11.2023 के माध्यम से वांछित एमआरआई रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई। उक्त रिपोर्ट के अध्ययन करने पर मंच ने पाया कि प्रश्नगत मीटर द्वारा दिनांक 01.05.2023 को मीटर रीडिंग 14381.1 तथा दिनांक 01.06.2023 को मीटर रीडिंग 21511.7 दर्ज की गई है, जबकि दिनांक 01.05.2023 से दिनांक 01.06.2023 के मध्य मात्र 263.7 विद्युत की खपत दर्शायी गई है। इस प्रकार दिनांक 01.05.2023 तथा दिनांक 01.06.2023 को दर्ज मीटर रीडिंग के अनुसार एक माह में 7130.6 यूनिट विद्युत की खपत की गई है जबकि उक्त अवधि मे एमआरआई रिपोर्ट में 263.7 यूनिट की खपत अंकित की गई है, जो कि गत 12 माह के औसत विद्युत खपत 242 यूनिट के सापेक्ष सही प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को जारी दिनांक 06.06.2023 को जारी बिल को निरस्त करते हुए 7339 यूनिट के स्थान पर पूर्व के तीन बिलिंग चक्रों की औसत विद्युत खपत के आधार पर बिल संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को जारी दिनांक 06.06.2023 को जारी बिल को निरस्त करते हुए 7339 यूनिट के स्थान पर पूर्व के तीन बिलिंग चक्रों की औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।

21/11/2023 21/11/2023

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 170 / 2023

परिवादी :– श्री शहनवाज पौत्र स्व0 श्री सददीक, ग्राम–बुक्ककनपुर, पोस्ट–लण्ढौरा, रूड़की।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम आदेश दिनांक 21.11.2023

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शहनवाज पौत्र स्व0 श्री सददीक, ग्राम–बुक्ककनपुर, पोस्ट–लण्ढौरा, रूड़की, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– RD9L196521331, भार 10.00 एच0पी0 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उक्त निजी नलकूप का कनेक्शन परिवादी के स्वर्गीय दादा श्री सददीक ने विद्युत विभाग से वर्ष 2001 मे लिया था जिसका वर्तमान में उनके द्वारा उपभोग किया जा रहा है, जिसके बिलों का नियमित भुगतान किया जा रहा था। माह दिसम्बर 2019 का रू0 15002.00 का बिल जो जनवरी 2020 में प्राप्त हुआ उसे 26 फरवरी 2020 को पूरा भुगतान कर दिया गया जो कि सही यूनिट खपत का था। उसके बाद बिल एक वर्ष बाद दिसम्बर 2020 में जारी किया गया जो सही रीडिंग खपत का था और रू0 5734.00 का था, जिसे कोविड–19 के कारण भुगतान नहीं किया जा सका। उसके बाद अगला बिल सही बिलिंग माह जून 2021 में रू0 19753.00 का (5734.00+19753.00=25487.00) जारी हुआ, उसकी भी यूनिट खपत सही है। परन्तु अगले बिलिंग माह दिसम्बर 2021 में अचानक से 104316 यूनिट खपत का बिल यानी 6 माह का दर्शाकर मीटर हाई जम्प रीडिंग का बिल भेजा गया। जून 2021 में कुल रीडिंग 58603 थी और अगले बिल में दिसम्बर 2021 की कुल रीडिंग 162919 दर्शायी गयी, यानी छह माह में 162919–58603=104316 यूनिट खपत आना अत्यधिक असामान्य है और मीटर की तकनीकी खराबी है अथवा गलत रीडिंग प्रेषण का मामला है। उपरोक्त से पूर्व की खपत निम्न प्रकार है दिसम्बर 2017 में खपत 4302 यूनिट, जून 2018 में खपत 3292 यूनिट, दिसम्बर 2018 में खपत 3820 यूनिट, जून 2019 में खपत 3101 यूनिट, दिसम्बर 2019 मे खपत 3449 यूनिट, दिसम्बर 2020 में खपत 2272 यूनिट, जून 2021 में खपत 9651 यूनिट तथा उसके अगले बिल माह दिसम्बर 2021 में अचानक असामान्य यूनिट खपत 104316 जो मीटर की खराबी को दर्शाती है अथवा गलत रीडिंग एंट्री करने को, क्योंकि छह माह में किसी भी प्रकार से एक लाख चार हजार रीडिंग खपत करना तकनीकी तौर पर सम्भव नहीं है। यू0पी0सी0एल0 ने गलत रीडिंग अथवा हाई जम्प रीडिंग के गलत बिलों को ठीक करने के बजाय नियम विरूद्ध उपभोक्ता से बिल को वसूलने का दबाव बनाने के लिए जनवरी 2022 को उनका कनैक्शन काटकर मीटर उतार लिया। अतः मंच से अनुरोध है कि जून 2021 में जारी गलत यूनिट खपत 104316 को निरस्त कर, कनैक्शन काटे जाने के माह जनवरी 2022 तक का बिल संशोधित करवा दिया जाए। **क्रमशः......02**

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 4354 दिनांक 13.10.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उक्त संयोजन उपभोक्ता को दिनांक 14.11.2001 को निर्गत किया गया था। शिकायतकर्ता श्री शहनवाज द्वारा स्वर्गीय श्री सददीक पुत्र श्री मीदा की मृत्यु सम्बन्धित कोई भी सूचना खण्ड कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी एवं न ही उक्त संयोजन को अपने नाम कराये जाने हेतु कोई आवेदन वर्तमान तक इस कार्यालय में जमा नहीं कराया गया है। उपभोक्ता को निर्गत विद्युत बीजक एम0आर0आई0 रिपोर्ट में दर्शित मीटर रीडिंग के आधार पर बनाया गया है। उक्त संयोजन पर माह 12 / 2021 में बीजक धनराशि रू0 246523.00 बकाया होने के कारण संयोजन को माह 01 / 2022 को अस्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया। संयोजन संख्या— RD9L196521331 पर स्थापित मीटर संख्या 15575736 की एम0आर0आई0 रिपोर्ट सही है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री शहनवाज उपस्थित नहीं हुए तथा विपक्षी की ओर से कार्यालय सहायक श्री हैदर अली उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 10 एचपी विद्युत भार पर दिनांक 14.11.2001 से गतिमान है। अभिलेखों के अनुसार परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा मीटर संख्या—15575736 के स्थापित किए जाने की तिथि दिनांक 07.01.2016 से दिनांक 30.12.2021 तक मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 30.12.2021 को परिवादी को मीटर रीडिंग आईआर—58603 से एफआर—162919 तक का कुल 104316 यूनिट का बिल जारी किया गया है जिसको परिवादी द्वारा विवादित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित होता है कि परिवादी के उक्त संयोजन पर स्थापित मीटर संख्या—380040 के दोषपूर्ण / आईडीएफ हो जाने के कारण दिनांक 07.01.2016 को मीटर संख्या—15575736 (मीटर रीडिंग—01) द्वारा बदला गया है। तद्पश्चात परिवादी को मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 30.12.2021 को जारी बिल में मीटर रीडिंग 162919 दर्शाया गया है जो कि एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज मीटर रीडिंग के सापेक्ष सही प्रतीत होता है। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री से यह भी विदित होता है कि परिवादी को मीटर बदले जाने के दिनांक 07.04.2016 से दिनांक 30.12.2021 के मध्य समय—समय पर वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिल जारी नहीं किए गए हैं। फलस्वरूप दिनांक 30.12.2021 को एकमुश्त 104316 यूनिट का बिल जारी किया गया है। एमआरआई रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा स्वीकृत 10 एचपी से लगभग दोगुना विद्युत भार का उपभोग भी किया जा रहा है, क्योंकि परिवादी को मीटर संख्या—15575736 में दर्ज वास्तविक विद्युत खपत का ही बिल जारी किया गया है, जिसकी पुष्टि एमआरआई रिपोर्ट से भी होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में परिवादी को इस मंच द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू) 21/11/2023	(सतीश उनियाल) 21/11/2023
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 172 / 2023

परिवादी :– श्री शकील पुत्र श्री शब्बीर, माता वाली गली, कस्बा–लण्डौरा, रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम **आदेश दिनांक 21.11.2023**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री शकील पुत्र श्री शब्बीर, माता वाली गली, कस्बा–लण्डौरा, रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि उनके घर पर विद्युत संयोजन संख्या RD11506965526 है। जिस पर बिजली चोरी का छापा लगा था, जिस जुर्माने को उन्होंने जमा कर दिया था। उनका संयोजन जुर्माना जमा करने के बाद भी जोड़ा नहीं गया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका विद्युत संयोजन जुड़वा दिया जाए।

विपक्षी द्वारा अपने लिखित जवाब में निम्न प्रकार से कथन किया है कि:–

1. शिकायतकर्ता का विद्युत संयोजन सं0 RD11506965526 घरेलू उपयोग हेतु 2 किलोवाट दिनांक 19.03.2023 को निर्गत किया है।
2. दिनांक 17.01.2023 को उपभोक्ता शकील के परिसर पर खम्बे के एल0टी बाक्स से सीधे केबिल डालकर विद्युत चोरी पकड़ी गयी। जिस पर उपखण्ड कार्यालय द्वारा चैकिंग रिपोर्ट सं0–2035 दिनांक 17.01.2023 के आधार पर पत्रांक सं0 3026 दिनांक 11.08.2023 विद्युत के आधार खपत (अनाधिकृत) का अंतिम निर्धारण रू0 33103.00 किया गया।
3. यह कि विभागीय टीम द्वारा पुनः दिनांक 19.09.2023 को उक्त परिसर पर निरीक्षण करने के दौरान श्री साहिल पुत्र श्री शकील, शिकारपुर की पुलिया, लंढौरा के द्वारा सीधे एल0टी0 लाईन से केबिल डालकर घरेलू व अघरेलू विधा में विद्युत चोरी पकड़ी गयी। जिस पर उपखण्ड कार्यालय द्वारा चैकिंग रिपोर्ट सं0 2525 दिनांक 19.09.2023 के आधार पर पत्रांक सं0 4216 दिनांक 04.10.2023 तैयार कर अनाधिकृत रूप से की गयी विद्युत खपत का अंतिम निर्धारण रू0 144098.00 किया गया।
4. यह कि श्री शकील द्वारा पत्रांक सं0 3026 दिनांक 11.08.2023 के सापेक्ष मांग की गयी रकम रू0 33103.00 का भुगतान विभाग में जमा कर दिया है, परन्तु पत्रांक सं0 4216 दिनांक 04.10.2023 नामे श्री साहिल का अंतिम निर्धारण रू0 144098.00 वर्तमान तक विभाग में जमा नही किया गया है।

क्रमशः......02

5. यह कि उपखण्ड अधिकारी लंढौरा द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री शकील पुत्र श्री शब्बीर एवं श्री साहिल पुत्र श्री शकील दोनों का मातावाली गली, लंढौरा, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में एक ही परिसर है।
6. विपक्षी की ओर से मांग की गयी कि साहिल पुत्र शकील को प्रेषित अंतिम निर्धारण रू0 144098.00 विभाग में जमा करने के उपरांत एवं संयोजन को जोड़ने का शुल्क जमा करने की रशीद कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात ही उक्त संयोजन को जोड़ा जाना उचित होगा।

मंच के समक्ष परिवादी श्री शकील उपस्थित नहीं हुए तथा विपक्षी की ओर से कार्यालय सहायक श्री हैदर अली उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह संदर्भित विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार पर दिनांक 19.03.2022 से गतिमान है। पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी के लिखित जवाब से यह विदित होता है कि दिनांक 17.01.2023 को श्री शकील पुत्र श्री शब्बीर द्वारा मातावली गली लण्ढौरा, तहसील एवं जिला हरिद्वार में स्थित अपने परिसर पर विद्युत पोल पर स्थापित एलटी बाक्स से सीधे केबिल जोड़कर विद्युत चोरी करते हुए पकड़े जाने के विरूद्ध रू0 33103.00 का अंतिम राजस्व निर्धारण विपक्षी विभाग द्वारा किया गया है, जिसकी सूचना परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 3026 दिनांक 11.08.2023 के माध्यम से दी गई है। परिवादी द्वारा उक्त धनराशि रू0 33103.00 का भुगतान रसीद संख्या—42 / 04215 दिनांक 21.08. 2023 के माध्यम से विपक्षी के कार्यालय में जमा किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा पुनः दिनांक 19.09.2023 को श्री शकील के उसी उपरोक्त परिसर पर एलटी लाईन से सीधे केबल जोड़कर चोरी करते हुए श्री साहिल जो कि श्री शकील के पुत्र हैं, को घरेलू तथा अघरेलू विधा हेतु विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा गया। विपक्षी विभाग द्वारा अनाधिकृत रूप से की गई विद्युत खपत का निर्धारण करते हुए रू0 144098.00, विभागीय कार्यालय में जमा करने हेतु पत्रांक 4216 दिनांक 04. 10.2023 के माध्यम से श्री साहिल पुत्र श्री शकील को सूचित किया गया है, परंतु श्री साहिल पुत्र श्री शकील द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह विदित होता है कि परिवादी श्री शकील के नाम परिवादी के परिसर में घरेलू उपयोग हेतु 02 किलोवाट भार का विद्युत संयोजन दिनांक 19.03.2022 से स्वीकृत है। परिवादी श्री शकील को अनाधिकृत रूप से विद्युत उपभोग करते हुए दिनांक 17.01.2023 को पकड़ा गया। पुनः परिवादी श्री शकील के उसी परिसर पर परिवादी के पुत्र श्री साहिल को अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपभोग करते हुए पकड़ा गया। स्वभाविक है कि श्री साहिल द्वारा की जा रही विद्युत चोरी का लाभ परिवादी श्री शकील को सीधे तौर पर मिल रहा था क्योंकि परिसर पर की जा रही विद्युत खपत की रीडिंग पूर्ण रूप से मीटर पर दर्ज नहीं की जा रही थी। क्योंकि परिवादी श्री शकील के नाम से विद्युत संयोजन संख्या— RD11506965526, परिवादी के प्रश्नगत परिसर में घरेलू विधा हेतु स्वीकृत है अतः परिवादी श्री शकील के उसी परिसर पर परिवादी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपभोग किया जाना नियमानुसार सही नहीं है, क्योंकि परिवादी श्री शकील द्वारा उनके परिसर पर श्री साहिल पुत्र श्री शकील द्वारा

क्रमशः......03

की जा रही विद्युत चोरी का अनुचित लाभ प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से उठाया जा रहा था। अतः विपक्षी विभाग का यह कथन कि श्री साहिल पुत्र श्री शकील के विरुद्ध, अनाधिकृत रूप से विद्युत खपत का राजस्व निर्धारण धनराशि रू0 144098.00 जमा न होने की स्थिति में प्रश्नगत परिसर में विद्युत आपूर्ति को बहाल करना संभव नहीं होगा, उचित है। इसी संदर्भ में विपक्षी की ओर से की गई यह मांग कि साहिल पुत्र शकील को प्रेषित अंतिम निर्धारण रू0 144098.00 विभाग में जमा करने के उपरांत एवं संयोजन को जोड़ने का शुल्क जमा करने की रशीद कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात ही उक्त संयोजन को जोड़ा जाना उचित होगा, नियमानुसार सही है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के संयोजन को विच्छेदित किया जाना व्यवहारिक एवं नियमानुसार सही है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023
(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट- इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 129 / 2023

परिवादी :– श्री मदन पाल सैनी, ग्राम–सलियर, रामनगर, रूड़की।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रूड़की।

कोरम आदेश दिनांक–28.11.2023

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री मदन पाल सैनी, ग्राम–सलियर, रामनगर, रूड़की ने कनेक्शन नं0– RM21008126709 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उनका विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है। एक माह का बिल रू0 34000.00 आया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रूड़की के अर्न्तगत 33 / 11 KV उपसंस्थान / बिजलीघर, पुराना रामनगर, रूड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी प्रतिनिधि श्री जोनी उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री वीरेन्द सिंह बिष्ट के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी प्रतिनिधि श्री जोनी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही विभाग को स्पष्ट उत्तर मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4751 दिनांक 08.11.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी के द्वारा उपभोक्ता के उक्त संयोजन का Online निरीक्षण करने के उपरान्त पाया गया कि उपभोक्ता के द्वारा चैक मीटर की फीस जमा न करने पर Complaint निरस्त कर दी गई, जो कि चैक मीटर रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त शिकायतकर्ता के विद्युत बीजक को संशोधित किया जा सकता है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री मदन पाल सैनी उपस्थित नहीं हुए तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार में दिनांक 22.01.2011 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 10.09.2023 तक एमयू के बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 10.09.2023 को एमयू आधार पर 02 माह 15 दिनों की विद्युत खपत 6106 यूनिट दर्शायी गई है, जिसमें वर्तमान बिल की धनराशि रू0 43684.00 शामिल

क्रमशः......02

की गई है जिसे परिवादी द्वारा विवादित ठहराया गया है। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा दिनांक 16.06.2022 से दिनांक 25.06.2023 तक की अवधि में औसतन लगभग 113 यूनिट प्रतिमाह तथा दिनांक 14.06.2021 से दिनांक 16.06.2022 तक की अवधि में औसतन लगभग 144 यूनिट की विद्युत खपत की गई है। अर्थात परिवादी द्वारा पिछले 24 महिनों में औसतन लगभग 128 यूनिट प्रतिमाह की विद्युत खपत दर्ज की गई है, जबकि दिनांक 25.06.2023 से दिनांक 10.09.2023 तक, दो माह 15 दिनों की अवधि में औसतन लगभग 2443 यूनिट प्रतिमाह विद्युत खपत की गई है, जो कि पिछले 24 माह की तुलना में 1652.34 प्रतिशत अधिक है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिवादी को दिनांक 10.10.2023 को जारी बिल में एक माह की विद्युत खपत 258 यूनिट दर्शायी गई है जो कि गत वर्षों में की गई विद्युत खपत के अनुसार सही प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 10.09.2023 को जारी बिल को निरस्त करते हुए पूर्व में जारी तीन एमयू बिलिंग चक्रों के मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को दिनांक 10.09.2023 को जारी बिल को निरस्त करते हुए पूर्व में जारी तीन एमयू बिलिंग चक्रों के मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर संशोधित बिल जारी करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।

28/11/2023		28/11/2023
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 130 / 2023

परिवादी :– श्री जगत सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह, ग्राम–सलियर, रामनगर, रुड़की।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रूड़की।

कोरम **आदेश दिनांक–28.11.2023**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री जगत सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह, ग्राम–सलियर, रामनगर, रूड़की का कनेक्शन नं0–RM21008043558 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उक्त विद्युत कनेक्शन का बिल बहुत अधिक आया है। उनका बिल हर महीने 1000.00 रू0 आता रहा है, परन्तु इस बार रू0 4000.00 का बिल आया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रूड़की के अर्न्तगत 33 / 11 KV उपसंस्थान / बिजलीघर, पुराना रामनगर, रूड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी श्री जगत सिंह उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही विभाग को स्पष्ट उत्तर मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4753 दिनांक 08.11.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी के द्वारा उपभोक्ता के उक्त संयोजन का Online निरीक्षण करने के उपरान्त पाया गया कि उपभोक्ता के द्वारा चैक मीटर की फीस जमा न करने पर Complaint निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान में विद्युत मीटर सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री जगत सिंह उपस्थित नहीं हुए तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 01 किलोवाट में दिनांक 29.12.1990 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 09.09.2023 तक लगातार एमयू के बिल जारी किए गए हैं। परिवादी द्वारा दिनांक 26.12.2022 तक जारी बिलों का भुगतान किया गया है। परिवादी को दिनांक 16.02.2023 को दो माह का 815 यूनिट का विद्युत बिल रू0 4467.00 का जारी किया गया है। इससे पूर्व के वर्षों में भी परिवादी को दिनांक 22.10.2021 में

क्रमशः......02

लगभग दो माह की 920 यूनिट तथा दिनांक 23.08.2020 को लगभग दो माह की 764 यूनिट विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है।

परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि परिवादी द्वारा पूर्व के वर्षों में की गई औसत मासिक विद्युत खपत के अनुरूप ही वर्तमान में विद्युत खपत की जा रही है, जो कि सही प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मंच की राय में परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/11/2023	28/11/2023	
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 131/2023

परिवादी :– श्रीमती पूजा द्वारा श्री ज्ञानचन्द, ग्राम–सलेमपुर, राजपुताना, डाकघर के सामने, थाना–गंगनहर, रूड़की।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रूड़की।

कोरम **आदेश दिनांक–28.11.2023**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती पूजा द्वारा श्री ज्ञानचन्द, ग्राम–सलेमपुर, राजपुताना, डाकघर के सामने, थाना–गंगनहर, रूड़की ने कनेक्शन नं0– RM21106036325 के संदर्भ में कथन किया गया है कि उक्त विद्युत कनेक्शन का बिल उनके द्वारा लगातार भुगतान किया जा रहा है। किन्तु एक दिन नये मीटर रीडर द्वारा उनसे पेचकस लेकर रीडिंग लेने का प्रयास किया गया। उसके बाद रू. 5038.00 विभाग द्वारा बिल बनाकर भेजा गया, जो कि गलत बिल है। शिकायत करने पर 28.08.2023 को रू. 118.00 चैक मीटर लगवाने के लिए जमा किये गये, परन्तु आज तक चैक मीटर की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

इस मंच द्वारा दिनांक 15.09.2023 को विद्युत वितरण खण्ड, (रामनगर), रूड़की के अर्न्तगत 33/11 KV उपसंस्थान/बिजलीघर, पुराना रामनगर, रूड़की में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया, जिसमें यह परिवाद पंजीकृत किया गया। मंच के समक्ष परिवादी श्रीमती पुजा जगत सिंह उपस्थित हुए तथा विपक्षी विभाग की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री वीरेन्द सिंह बिष्ट के तर्क सुने गए।

सुनवाई के समय परिवादिनी द्वारा मंच को उक्त विद्युत समस्या से अवगत कराया गया। विपक्षी के उपखण्ड अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने परिवादी की उक्त समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की बात कही। मंच द्वारा मौके पर ही विभाग को स्पष्ट लिखित जवाब मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–4752 दिनांक 08.11.2023 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया गया है कि उपखण्ड अधिकारी के द्वारा उपभोक्ता के उक्त संयोजन का Online निरीक्षण करने पर पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर के लिये रजि0 दिनांक 25.08.2023 को कराया था जो कि दिनांक 28.08.2023 को payment पर आ गया तथा 07.10.2023 को मै0 YMPL द्वारा testing हुई।

मंच के समक्ष सुनवाई में परिवादिनी श्रीमती पूजा उपस्थित नहीं हुई तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री वीरेन्द सिंह बिष्ट उपस्थित हुए।

क्रमशः......02

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन 02 किलोवाट भार में दिनांक 26.12.1988 से गतिमान है। परिवादिनी को दिनांक 21.08.2023 तक लगातार एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 21.08.2023 को 702 यूनिट विद्युत खपत का एमयू आधार पर कुल धनराशि रू0 5036.00 का बिल जारी किया गया है, जिसमें इससे पूर्व दिनांक 31.07.2023 को जारी की गई शून्य यूनिट विद्युत खपत की बकाया धनराशि रू0 170.00 एवं विलंब अधिभार रू0 3.14 शामिल है, जिसे परिवादिनी द्वारा विवादित ठहराया गया है। इसी कम में परिवादिनी के विद्युत संयोजन पर स्थापित मीटर की जांच किए जाने हेतु परिवादिनी द्वारा चैक मीटर शुल्क रू0 118.00 दिनांक 28.08.2023 को जमा किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक 4752 दिनांक 08.11.2023 के माध्यम से मंच को अवगत कराया गया है कि परिवादिनी के परिसर पर स्थापित मीटर की जांच मै0 वाईएमपीएल के माध्यम से दिनांक 05.10.2023 को की गई है, जिसमें परिवादिनी का मीटर सही पाया गया है। इस संदर्भ में विपक्षी विभाग द्वारा प्रश्न मीटर की जांच रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि परिवादिनी को दिनांक 31.07.2023 को जारी किया गया शून्य यूनिट विद्युत खपत का बिल, बिना मीटर रीडिंग लिए ही जारी किया गया है फलस्वरूप दिनांक 21.08.2023 को लगभग दो माह में की गई विद्युत खपत 702 यूनिट का बिल जारी किया गया है अर्थात औसतन प्रतिमाह लगभग 351 यूनिट का विद्युत उपभोग किया गया है जो कि सही प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में परिवादिनी के संयोजन पर स्थापिम मीटर की जांच करने पर सही पाया गया है तथा परिवादिनी को उनके द्वारा की गई वास्तविक विद्युत खपत का बिल जारी किया गया है, जिसमें कोई भी संशोधन किया जाना संभव नहीं है। अतः परिवादिनी का यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	28/11/2023 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	28/11/2023 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज-I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 163 / 2023

परिवादी :– श्री अशरफ पुत्र श्री नूर बख्श, भगवानपुर, चन्दनपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ग्रामीण, रूड़की।

कोरम **आदेश दिनांक 28.11.2023**

श्री संजय कुमार	न्यायिक सदस्य
श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू	तकनीकी सदस्य
श्री सतीश उनियाल	उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री अशरफ पुत्र श्री नूर बख्श, भगवानपुर चन्दनपुर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– RD9L391720553 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि वह इस कनेक्शन सं0 का पूर्व में धारक था जिसको उनके द्वारा दिनांक 25.03.2011 को रसीद सं0 22 पुस्तक सं0 08079 के द्वारा अंकन रू0 4142.00 जमा करते हुए उक्त विद्युत कनेक्शन को पूर्णतः विच्छेदित करा दिया था। उन्होंने उक्त विद्युत कनेक्शन को अपनी भूमि पर ट्यूबवैल हेतु प्राप्त किया था। उनके द्वारा उक्त भूमि को वर्ष 2011 में भट्टे पर ईट मिट्टी खुदान हेतु किराए पर दे दी थी इसलिए उनको उक्त ट्यूबवैल की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने विद्युत कनेक्शन को दिनांक 25.03.2011 को विच्छेदित करा दिया था। परन्तु अब उनको ज्ञात हुआ है कि किसी त्रुटिवश उनका विद्युत कनेक्शन नं0– RD9L391720553 की बाबत आज तक बिल आ रहा है। जबकि मौके पर कोई मीटर या कनेक्शन किसी प्रकार का नहीं है। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त कनेक्शन को स्थाई विच्छेदित करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 3957 दिनांक 25.09.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया कि उपभोक्ता को संयोजन सं0 RD9L391720553 पत्रांक सं0 2637 दिनांक 29.11.2022 के द्वारा विद्युत बीजक को उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत खपत के आधार पर उक्त संयोजन, स्थायी विच्छेदित कर रू0 255391.00 धनराशि का अन्तिम भुगतान हेतु सम्बन्धित उपभोक्ता को प्रेषित कर दिया गया था। उपभोक्ता द्वारा विद्युत संयोजन सं0 के विद्युत बीजक रू0 4142.0 का भुगतान दिनांक 16.05.2011 में किया गया था। उसके पश्चात उपभोक्ता द्वारा किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 4914 दिनांक 08.11.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि मंच के द्वारा दिनांक 26.10.2023 को दिये गये आदेश के अनुपालन में संयोजन सं0– RD9L391720553 निर्गत दिनांक 09.07.2009 के पश्चात जारी समस्त बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 09.07.2009 को दर्ज आईआर तथा दिनांक 08.07.2022 को दर्ज एफआर मीटर रीडिंग पर बीजक को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित होने के उपरान्त बकाया बीजक रू0 117974.00 धनराशि का है। परिवादी द्वारा बकाया विद्युत बीजक रू0 117974.00 जमा कराये जाने के उपरान्त संयोजन

सं0— RD9L391720553 को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया जायेगा। संयोजन सं0— RD9L391720553 से सम्बन्धित स्थाई विच्छेदन पत्रांक सं0 4913 दिनांक 08.11.2023 माननीय मंच के समक्ष सादर प्रेषित है।

मंच के समक्ष परिवादी अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री गुलशन बुलानी उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 21.12.2008 को 10 एचपी भार में स्वीकृत है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 09.07.2009 को एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है। दिनांक 13.08.2009 से दिनांक 07.02.2015 तक एडीएफ (ADF) आधार पर बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात परिवादी को दिनांक 13.06.2015 से दिनांक 31.12.2015 तक एनआर आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 03.07.2017 को एमयू आधार पर, दिनांक 31.12.2017 से दिनांक 06.07.2019 तक एनआर आधार पर तथा दिनांक 08.01.2020 से दिनांक 07.07.2021 तक एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री से यह विदित होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 13.08.2009 से दिनांक 07.02.2015 की अवधि में परिवादी के परिसर पर स्थापित मीटर की रीडिंग नहीं ली गई तथा परिवादी को दिनांक 13.08.2009 से दिनांक 07.02.2015 तक लगातार लगभग 67 माह तक एडीएफ (ADF) आधार पर विद्युत बिल जारी किए गए हैं। तद्पश्चात विपक्षी विभाग द्वारा एनआर व एमयू आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 03.07.2017 को एमयू आधार पर मीटर रीडिंग आईआर—245 तथा एफआर—53822 तक का 63557 यूनिट का बिल जारी किया गया है, जो कि सही प्रतीत नहीं होता है। परिवादी को एडीएफ आधार पर जारी बिलों का समायोजन, एमयू आधार पर बिल बनाए जाने पर नहीं दिया गया है।

मंच द्वारा दिनांक 26.10.2023 को विपक्षी विभाग को परिवादी को दिनांक 09.07.2009 से दिनांक 08.07.2021 तक जारी बिलों को निरस्त करते हुए दिनांक 09.07.2009 के बिल में दर्ज आईआर तथा दिनांक 08.07.2023 को जारी बिल में दर्ज एफआर के आधार पर संशोधित बिल परिवादी को जारी किए जाने के आदेश दिए गए। विपक्षी विभाग द्वारा मंच आदेश के अनुपालन में पत्रांक 4914 दिनांक 08.11.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया कि मंच के निर्देशानुसार परिवादी का बिल संशोधित करते हुए रू0 255391.00 के स्थान पर रू0 117974.00 का बनाया गया है, जो कि सही प्रतीत होता है। जहां तक परिवादी का यह कथन कि उनके द्वारा प्रश्नगत विद्युत संयोजन दिनांक 25.03.2011 को विच्छेदित करा दिया था, इस संबंध में पत्रावली पर कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने फलस्वरूप यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

	28/11/2023	28/11/2023
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

कार्यालय / OFFICE

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र

Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone

हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401

Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401

Phone: 01334-265368 E-Mail- cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 168 / 2023

परिवादी :– श्री चन्द्रदीप सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह, निकट सरोवर पोर्टिको, ग्रा0 बढेडी राजपुतान, जिला हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नगरीय, रूड़की।

आदेश दिनांक 28.11.2023

कोरम

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री चन्द्रदीप सिंह पुत्र श्री जगजीत्त सिंह, निकट सरोवर पोर्टिको, ग्रा0 बढेडी राजपुतान, जिला हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– 686BB22872016 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनको भू–स्वामी द्वारा पंजीकृत अनुबन्ध व अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने विभाग से संयोजन स्वीकृत कराया था। अब भू–स्वामी अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते उनके संयोजन को गलत तरीके से हटवाना चाहते हैं, जिससे उनका कारोबार बन्द हो जाए। अतः मंच से अनुरोध है कि उक्त वाद चलने तक उनका कनेक्शन ना काटा जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 4883 दिनांक 06.10.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि आवेदनकर्ता का आवेदन दिनांक 20.04.2023 को पंजीकृत किया गया। आवेदनकर्ता द्वारा संयोजन से सम्बन्धित वांछित धनराशि जमा की गई तद्पश्चात संयोजन दिनांक 01.06.2023 को संयोजन सं0 686BB22872016 निर्गत किया गया। आवेदनकर्ता द्वारा परिचय पत्र के रूप में अपने आधार कार्ड की प्रति लगाई गई है। आवेदनकर्ता द्वारा जमीन के मालिकाना हक सम्बन्धी दस्तावेज के रूप में पंजीकृत किरायानामा दिनांक 14.09.2022 की प्रति आवेदन के साथ संलग्न किये गये हैं। आवेदनकर्ता द्वारा श्रीमती अंजू जैन की तरफ से दिनांक 18.04.2023 का एक नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार श्रीमती अंजू जैन को श्री चन्द्रदीप सिंह को 10 कि0वा0 का वाणिज्यिक संयोजन देने में कोई आपत्ति नहीं थी। इस प्रकार मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा एल0टी0 संयोजन निर्गत करने हेतु आवेदनकर्ता द्वारा वांछित दोनों प्रपत्र (परिचय पत्र एवं जमीन के मालिकाना सम्बन्धी दस्तावेज) संयोजन निर्गत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था तद्पश्चात ही उपखण्ड कार्यालय से संयोजन निर्गत किया गया। उपभोक्ता द्वारा संयोजन सं0–686BB22872016 पर विद्युत बकाया धनराशि रू0 171810.00 के सापेक्ष 172000.00 रसीद सं0 3341521092317010041 दिनांक 21.09.2023 के द्वारा जमा करा दी गई। भूमि के मालिक श्रीमती अंजू जैन द्वारा एक पत्र अधीक्षण अभियन्ता महोदय को प्रेषित

हेतु अनुरोध किया, जिसमें उन्होंने यह भी उल्लेखित किया कि आवेदनकर्ता श्री चन्द्रदीप सिंह द्वारा जाली दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं तथा साथ ही उन्होंने इस सम्बन्ध में एक पत्र उपखण्ड अधिकारी द्वितीय को भी प्रेषित किया। उपभोक्ता श्री चन्द्रदीप सिंह द्वारा एक नोटराईज्ड शपथ पत्र दिनांक 21.09.2023 खण्ड कार्यालय में प्रेषित किया गया है जिसमें उल्लेखित किया गया है कि उनके द्वारा आवेदन करते समय जो भी प्रपत्र दिये गये हैं सही हैं परन्तु जमीन की मालिक श्रीमती अंजू जैन उपभोक्ता का संयोजन विच्छेदित करवाना चाहती हैं तथा संयोजन विच्छेदित न करने हेतु अनुरोध किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 29.09.2023 को पत्रांक 783 के माध्यम से श्री चन्द्रदीप सिंह को नोटिस प्रेषित किया गया।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 853 दिनांक 03.11.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि शिकायकर्ता का वाणिज्यिक संयोजन सं0—686BB22872016 की स्वीकृति के विरूद्ध परिसर स्वामी द्वारा एक शिकायत इस कार्यालय को की गयी, जिसमें परिसर स्वामी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा श्री चन्द्रदीप को अपने नाम से संयोजन स्वीकृत कराने हेतु न तो कोई अनुमति दी गयी और न ही कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किये गये। परिसर स्वामी की प्राप्त शिकायत के आधार पर श्री चन्द्रदीप को नोटिस सं0 783 दिनांक 29.09.2023 द्वारा अपना पक्ष सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया था, जिस पर उनके द्वारा कोई भी पक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण संयोजन को अवैधानिक मानकर अस्थाई रूप से दिनांक 07.10.2023 को व दिनांक 09.10.2023 को स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया

मंच के समक्ष परिवादी श्री चन्द्रदीप सिंह तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्रीमती अनीता उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का प्रश्नगत विद्युत संयोजन, 10 किलोवाट विद्युत भार पर दिनांक 01.06.2023 को स्वीकृत किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के प्रश्नगत परिसर पर, परिसर / सम्पत्ति स्वामी श्रीमती अंजू जैन पत्नी श्री विनेश कुमार निवासी 43 बी / नरेन्द्र बिहार एक्सटेंशन, कौलागढ़ रोड, राजेन्द्र नगर, देहरादून तथा किराएदार मै0 शिवाय फूड जंक्शन द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री चन्द्रदीप सिंह पुत्र श्री जगजीत सिंह निवासी 1278, कैलाशपुरम कालोनी, देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के मध्य संपादित किरायानामा / लीज डीड पंजीकरण संख्या 11668 वर्ष 2022 दिनांक 14.11.2022 के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या 686 बीबी 22872016, वाणिज्य विधा के प्रयोगार्थ दिनांक 01.06.2023 को निर्गत किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त संयोजन हेतु प्रस्तुत आवेदन प्रपत्रों के साथ सम्पत्ति स्वामी श्रीमती अंजू जैन द्वारा जारी शपथ / अनापत्ति पत्र पत्रावली पर दाखिल किया गया है जिसके आधार पर विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को विद्युत संयोजन स्वीकृत / निर्गत किया गया है। यद्यपि किरायानामा / लीज डीड की शर्त (बिंदु 5) के अनुसार प्रश्नगत सम्पत्ति / परिसर पर सम्पत्ति स्वामी के नाम से लिए गए विद्युत संयोजन के बिलों का भुगतान किराएदार द्वारा किया जाना है। स्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्पत्ति पर सम्पत्ति स्वामी द्वारा विद्युत संयोजन लिया जाना है तथा किराएदार द्वारा उक्त विद्युत संयोजन के प्रयोग किए जाने के उपरांत विभाग द्वारा जारी बिलों का भुगतान किया जाएगा। इस शर्त के परिपेक्ष्य में सम्पत्ति स्वामी द्वारा परिवादी को विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने संबंधी शपथ / अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए था। क्योंकि परिवादी द्वारा सम्पत्ति स्वामी द्वारा जारी शपथ / अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर संयोजन हेतु आवेदन किया गया तथा विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को मूलभूत सुविधा से वंचित न रखते हुए प्रश्नगत परिसर

क्रमशः......03

पर विद्युत संयोजन निर्गत किया गया, जो कि सही प्रतीत होता है। इसी कम में सम्पत्ति स्वामी श्रीमती अंजू जैन द्वारा एक नोटरायज्ड पत्र 129/यूपीसीएल/2023—24 दिनांक 21.09.2023 के माध्यम से विपक्षी विभाग को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कोई शपथ/अनापत्ति/स्वीकृत पत्र, परिवादी को विद्युत संयोजन दिए जाने के संदर्भ में जारी नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा सम्पत्ति स्वामी के उक्त नोटरायज्ड पत्र के परिपेक्ष्य में पत्रांक 783 दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से, अवैध दस्तावेजों के माध्यम से विद्युत संयोजन स्वीकृत कराने के संदर्भ में परिवादी को अवगत कराया गया तथा सात दिवस की अवधि में प्रश्नगत शपथ/अनापत्ति पत्र के विषय में अपना पक्ष रखे जाने हेतु कहा गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा प्रश्नगत शपथ/अनापत्ति पत्र के संबंध में कोई भी तथ्यात्मक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, न ही इस संबंध में सम्पत्ति स्वामी से वार्ता/पत्राचार ही किया गया है। क्योंकि स्वयं सम्पत्ति स्वामी द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति पर विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने हेतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत, उनके नाम से जारी शपथ/अनापत्ति पत्र पर आपत्ति उठाई गई है। अतः परिवादी का दायित्व कि वह इस संदर्भ में सम्पत्ति स्वामी से लिखित में उनका अद्यतन पक्ष विभाग को प्रस्तुत करे, परंतु परिवादी द्वारा इस संबंध में कोई ठोस प्रयास नही किए गए और न ही संदर्भित सम्पत्ति पर किरायानामा/लीज डीड की शर्तों के अनुसार सम्पत्ति स्वामी को स्वयं के नाम परिवादी के प्रयोगार्थ विद्युत संयोजन लिए जाने को कहा गया। विपक्षी विभाग द्वारा 853 दिनांक 03.11.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परिवादी द्वारा संदर्भित शपथ/अनापत्ति पत्र के संबंध में कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण प्रश्नगत विद्युत संयोजन को दिनांक 09.10.2023 को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया है। परिवादी को विपक्षी विभाग द्वारा अपना पक्ष रखे जाने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है, परंतु परिवादी द्वारा इस संबंध में कोई ठोस तथ्यात्मक पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी संज्ञान में आया है कि सम्पत्ति के मालिक की ओरसे एक एफआईआर सं0—601/2023 कोतवाली रूड़की (हरिद्वार) फर्जी दस्तावेज के आधार पर विद्युत कनेक्शन लिए जाने के विरूद्ध दर्ज हुई है जिसकी खबर दैनिक जागरण देहरादून दिनांक 24.10.2023 में प्रकाशित हुई है।

अतः विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का उक्त विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया, जो कि मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित विनियम 2020 मे उल्लेखित प्राविधानों के परिपेक्ष्य में सही प्रतीत होता है।

अतः मंच की राय में परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद बलहीन होने के चलते खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/11/2023 | 28/11/2023

(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड़, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 171/2023

परिवादी :– श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री पवन कुमार, निवासी काम्बोज निवास, अपर गंगा कैनाल रोड, आसफ नगर, रूड़की।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर, रूड़की।

कोरम **आदेश दिनांक 28.11.2023**

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री पवन कुमार, निवासी काम्बोज निवास, अपर गंगा कैनाल रोड, आसफ नगर, रूडकी द्वारा विद्युत संयोजन सं0– RM111194350003 जिसका खाता सं0–42100908713 है के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि विद्युत विभाग ने पिछले 2 वर्षों से कोई रीडिंग का बिल जारी नहीं किया है, न ही मीटर पर किसी व्यक्ति द्वारा आकर मीटर रीडिंग ली गई है। विभाग द्वारा दिनांक 02.11.2021 से केवल मूल्यांकन या अनुमानित रीडिंग के.डब्ल्यू.एच. पर शुल्क लिया जा रहा है। इस संबध में सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क कर रीडिंग बिल उपलब्ध कराने के लिए बोला गया, परन्तु विभाग द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसके उपरान्त दिनांक 17 जून 2023 को 1912 पर शिकायत दर्ज कराई गयी। इसके उपरान्त विभाग ने रू. 43001.00 का बिल जारी कर दिया गया, जबकि पिछले 2 वर्षों से उनकी कोई मीटर रीडिंग नहीं ली गयी। वह जानना चाहते हैं कि क्या विभाग को बिना रीडिंग लिए बिल जारी करने का अधिकार है यदि हां तो इसके लिए अधिनियम में क्या प्रावधान है। यदि हां तो कितने वर्षो तक बिना रीडिंग के बिल जारी कर सकते हैं। विभाग द्वारा लम्बे समय से रीडिंग न लेकर और बिल में अधिक धनराशि एकत्र के बाद इसे समझौते के आधार पर केवल मात्र भ्रष्टता कर अपनी जेबें भरने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इस सम्बन्ध में सी.एम. हेल्प लाईन 1905 पर भी दिनांक 4 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई गयी थी। इसके उपरान्त उनके द्वारा कई बार विभाग से संपर्क किया गया, लेकिन कोई प्रतिकिया नहीं दी गई। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 4741 दिनांक 08.11.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का बिल 02 नवम्बर 2021 से 02 अप्रैल 2023 तक दो माह के बिल निरन्तर निर्गत किये गये जिसके सापेक्ष उक्त बिल प्रोविजनल (विभागीय नियमानुसार) के आधार पर बनाया गया उसके उपरान्त दिनांक 31.07.2023 को उपभोक्ता के परिसर में लगे विद्युत मीटर की वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल बनाया गया जिसमें प्रोविजनल बिलों को विभागीय नियमों

के अनुसार पूर्व बिल में से घटाकर विद्युत बिल संशोधित कर उपभोक्ता को प्रेषित कर दिया गया है एवं दिनांक 31.07.2023 के उपरान्त उपभोक्ता के समस्त विद्युत बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बनाते हुये उपभोक्ता की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री दिनेश कुमार तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिहं बिष्ट उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी का यह विद्युत संयोजन 03 किलोवाट भार में दिनांक 02.11.2021 से गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 31.07.2023 को एमयू आधार पर मीटर रीडिंग आईआर-3939 से एफआर-12864 तक, लगभग 16 माह में परिवादी द्वारा की गई विद्युत खपत के सापेक्ष 8925 यूनिट का बिल जारी किया गया है जिसमें पूर्व में एनआर आधार पर जारी विद्युत बिलों का समायोजन दिया गया है जो कि बिलिंग संबंधी गणनाओं की दृष्टि से सही प्रतीत होता है। बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि परिवादी को दिनांक 02.11.2021 से दिनांक 02.04.2023 तक की अवधि में लगातार दस बिलिंग चकों के लिए एनआर आधार पर बिल जारी किए गए हैं, जिसका उल्लेख परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में मुख्य रूप से किया गया है तथा परिवादी द्वारा एनआर आधार पर जारी सभी बिलों का भुगतान किया गया है।

मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजन जारी करना एवं संबंधित मामले) विनियम, 2020 के प्राविधान 5.2.1 (7) के अनुसार यह व्यवस्था दी गई है :-

अनंतिम बिलिंग (एनए/एनआर/आईडीएफ/एडीएफ/आरडीएफ, औसत खपत के आधार पर बिलिंग) दो से अधिक बिलिंग चकों के लिए नहीं होगी। यदि किसी मामले में मीटर पर पहुंच लगातार दो बिलिंग चकों के लिए न हो तो उप-विनियम 5.1.2 के क्लाज (7) के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

परंतु विपक्षी विभाग द्वारा दो से अधिक बिलिंग चकों के विद्युत बिल एनआर आधार पर जारी किए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी विभाग द्वारा उक्त विनियम का उल्लंघन किया गया है। इसी कम में यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त विनियम (5.1.2 (7)) के अनुसार यह व्यवस्था दी गई है:-

कि यदि लगातार दो मीटर रीडिंग तिथियों पर पहुंच नहीं हो पा रही है तो अनुज्ञापी तिथि तथा समय इंगित करते हुए मीटर रीडिंग लेने के लिए परिसर को खुला रखने का 15 दिन का स्पष्ट नोटिस, उचित रसीद को प्राप्त कर, उपभोक्ता को देगा। यदि उपभोक्ता नोटिस का पालन नहीं करता है, तो अनुज्ञापी नोटिस की अवधि समाप्त होने पर, जब तक ऐसी मनाही या विफलता जारी रहे, तब तक के लिए आपूर्ति विच्छेदित कर देगा।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि विपक्षी विभाग द्वारा उक्त प्राविधान के अंतर्गत परिवादी को कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है जबकि परिवादी द्वारा एनआर आधार पर जारी बिलों का लगातार भुगतान किया गया है। अर्थात परिवादी अपने परिसर पर उपलब्ध रहा, परंतु विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के मीटर की रीडिंग नहीं ली गई।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजन जारी करना एवं संबंधित मामले) विनियम, 2020 के प्राविधान 5.2.1 (7) का घोर उल्लंघन करते हुए लगातार दस बिलिंग चकों की अवधि में एनआर आधार पर परिवादी को विद्युत बिल जारी किए गए हैं। इस संबंध में विपक्षी विभाग द्वारा विनियम, 2020 के प्राविधान 5.2.1 (7) के घोर उल्लंघन के लिए दोषी संबंधित कार्मिकों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक

कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि परिवादी को दिनांक 31.07.2023 को एक मुश्त लगभग 21 माह की अवधि में की गई विद्युत खपत का एमयू आधार पर बिल जारी किया गया है। अतः परिवादी को जारी दिनांक 07.02.2022 से दिनांक 19.10.2023 तक के बिलों में लगाया गया विलंब अधिभार समाप्त करते हुए संशोधित बिल जारी किए जाने तथा परिवादी को बिल भुगतान किए जाने हेतु किश्तों की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही परिवादी के मोबाइल नंबर 9720890430 को परिवादी के संयोजन संबधी अभिलेखों में दर्ज कर दिया जाए ताकि भविष्य में परिवादी को विद्युत बिल आदि की सूचना ससमय प्राप्त हो सके।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह विनियम, 2020 के प्राविधान 5.2.1 (7) के घोर उल्लंघन के लिए दोषी संबंधित कार्मिकों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही करे। परिवादी को जारी दिनांक 07.02.2022 से दिनांक 19.10.2023 तक के बिलों में लगाया गया विलंब अधिभार समाप्त कर संशोधित बिल जारी करते हुए, परिवादी को बिल भुगतान हेतु किश्तों की सुविधा प्रदान करे। साथ ही मोबाइल नंबर 9720890430 को परिवादी के संयोजन संबंधी अभिलेखों में दर्ज करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विपक्षी अनुपालन आख्या निर्णय तिथि के 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष पेश करे।

28/11/2023		28/11/2023
(संजय कुमार)	(जी0 एस0 धर्मसत्तू)	(सतीश उनियाल)
न्यायिक सदस्य	तकनीकी सदस्य	उपभोक्ता सदस्य

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 175 / 2023

परिवादी :– श्री सैय्यद पुत्र श्री इस्लाम, ग्रा0 किशनपुर जमालपुर, पोस्ट भगवानपुर, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, भगवानपुर, रूड़की।

कोरम — आदेश दिनांक 28.11.2023

श्री संजय कुमार — न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू — तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी श्री सैय्यद पुत्र श्री इस्लाम, ग्रा0 किशनपुर जमालपुर, पोस्ट भगवानपुर, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– BH1P112180770 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनके विद्युत बिल प्रत्येक माह का 200 से 300 रीडिंग के मध्य आता था, परन्तु अब सितम्बर माह में जो विद्युत बिल बना है वह खराब रीडिंग का बना है। क्योंकि अगस्त माह का विद्युत बिल बनने के बाद एक दिन विद्युत पोल पर विद्युत तार में फाल्ट आने के कारण विद्युत मीटर ने हाई जम्प लिया और विद्युत मीटर में अधिक रीडिंग दर्ज हो गई। जिस कारण उनका एक माह का विद्युत बिल 6939 रीडिंग का रू0 51090.00 का बना है, जो घरेलू कनेक्शन के अनुसार बहुत अधिक है। उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी को भी अवगत कराया गया था, परन्तु वर्तमान तक उनका बिल सही नहीं किया गया है। अतः मंच से अनुरोध है कि उनका बिल सही करा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 4276 दिनांक 25.10.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया कि उपभोक्ता के संयोजन सं0 BH1P112180770 का विद्युत बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर निर्गत किये गये हैं जो कि सही है।

मंच के समक्ष परिवादी श्री सैय्यद तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अंजीव कुमार उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी के परिसर पर उक्त विद्युत संयोजन दिनांक 07.02.2016 से 01 किलोवाट भार में गतिमान है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 17.10.2023 तक लगातार एमयू के आधार पर बिल जारी किए गए हैं। दिनांक 10.09.2023 को जारी बिल में एक माह की विद्युत खपत 6939 यूनिट दर्शायी गई है, जिसे परिवादी द्वारा विवादित ठहराया गया है। परिवादी की बिलिंग हिस्ट्री से यह भी विदित होता है कि परिवादी द्वारा गत 13 माह की अवधि में औसतन लगभग 223 यूनिट प्रति माह की विद्युत खपत की गई है। जबकि दिनांक 11.08.2023 से दिनांक

क्रमशः......02

10.09.2023 तक की लगभग एक माह की अवधि में 6939 यूनिट की खपत दर्ज की गई है, जो कि गत 13 माह की तुलना में 3011.65 प्रतिशत अधिक है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी परिपेक्ष्य में मंच के आदेश पर विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर की एमआरआई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मंच द्वारा एमआरआई रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि रिपोर्ट में माह 07/2023, 08/2023 तथा 09/2023 के आंकड़ें/डाटा उपलब्ध नहीं हैं। बिलिंग हिस्ट्री से स्पष्ट होता है कि गत वर्षों में परिवादी का अधिकतम विद्युत खपत 261 यूनिट प्रतिमाह रही है तथा प्रश्नगत अवधि के पश्चात परिवादी द्वारा एक माह 7 दिनों में 279 यूनिट की विद्युत खपत की गई है, जो कि गत 13 माह की अवधि के औसत विद्युत खपत, 223 यूनिट प्रतिमाह की तुलना में सही प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी को दिनांक 10.09.2023 को जारी एक माह का 6939 यूनिट का बिल गत 13 माह की तुलना में 3011.65 प्रतिशत अधिक विद्युत खपत का जारी किया जाना किसी भी प्रकार से सही प्रतीत नहीं होता है।

अतः मंच की राय में परिवादी को जारी बिल दिनांक 10.09.2023 को निरस्त करते हुए पूर्व के वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर जारी तीन बिलिंग चकों के मासिक विद्युत खपत के औसत आधार पर संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को जारी बिल दिनांक 10.09.2023 को निरस्त करते हुए पूर्व के वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर जारी तीन बिलिंग चकों के मासिक विद्युत खपत के औसत आधार पर संशोधित करे। विपक्षी विभाग आदेश की अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023
(संजय कुमार)	**(जी0 एस0 धर्मसत्तू)**	**(सतीश उनियाल)**
न्यायिक सदस्य	**तकनीकी सदस्य**	**उपभोक्ता सदस्य**

<u>नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।</u>

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 179 / 2023

परिवादी :– श्रीमती भूरी देवी पत्नी स्व0 राजपाल, रामधाम कालोनी, नियर शिवालिक नगर, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम **आदेश दिनांक 28.11.2023**

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती भूरी देवी पत्नी स्व0 राजपाल, रामधाम कालोनी, नियर शिवालिक नगर, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार द्वारा विद्युत संयोजन सं0– JW21522149381 के सन्दर्भ में कथन किया गया है कि उनका विद्युत बिल पूर्व में सही आ रहा था, किन्तु विद्युत बिल अचानक बढ़कर आने लगा, जिसके बाबत उनके द्वारा विद्युत कार्यालय में कर्मचारी को बताया गया कि उनका मीटर (मीटर नं0 192020) जम्प मार गया है, किन्तु कर्मचारियों द्वारा चैक मीटर स्थापित करवाने हेतु कहा गया। उनके द्वारा ऑनलाइन शिकायत कर चैक मीटर लगवाया गया तथा चैक मीटर मानक समय से अधिक समय में फाइनल किया गया। चैक मीटर फाइनल होने के बाद उनको रू0 109895.00 का बिल भेजा गया। अतः मंच से अनुरोध है कि उनके बिल को सही करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता के पत्रांक 5014 दिनांक 27.10.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता को माह 12 / 2022 में मीटर रीडिंग के आधार पर 3200 यूनिट का कुल बिल रू0 31929.00 का विद्युत बीजक प्रेषित किया गया था। इस आधार पर उपभोक्ता द्वारा दिनांक 18.02.2023 को चैक मीटर फीस जमा करायी गयी थी। उपभोक्ता की शिकायत के अनुक्रम में विद्युत परीक्षणशाला, मायापुर द्वारा दिनांक 04.07.2023 को उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर सं0 829556 स्थापित किया गया, जो दिनांक 05.07.2023 को फाइनल कर दिया गया था। जिसके अनुसार चैक मीटर सं0 829556 की तुलना में मैन मीटर सं0 192020 मात्र 4 प्रतिशत तेज पाया गया।

मंच के समक्ष परिवादी श्रीमती भूरी देवी तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री नीरज कुमार उपस्थित हुई।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी का यह विद्युत संयोजन दिनांक 22.02.2016 से 02 किलोवाट भार में गतिमान है। परिवादिनी को दिनांक 16.12.2022 को एमयू आधार पर मीटर रीडिंग आईआर–7979 से एफआर–13409 तक कुल की गई विद्युत खपत 5430

क्रमशः......02

(13409–7979) यूनिट के स्थान पर सिलिंग आधार पर 3200 यूनिट का बिल जारी किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 28.08.2023 को एमसी आधार पर 10981 यूनिट का बिल जारी किया गया है। परिवादिनी के परिसर पर दिनांक 04.03.2023 को चैक मीटर स्थापित किया गया तथा दिनांक 05.07.2023 को फाइनल किया गया है। चैक मीटर फाइनल रिपोर्ट के अनुसार चैक मीटर की तुलना में परिवादिनी का मैन मीटर 4.37 प्रतिशत तेज पाया गया है।

परिवादिनी की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादिनी द्वारा दिनांक 15.10.2022 से चैक मीटर स्थापित किए जाने की तिथि दिनांक 04.03.2023 तक लगभग 4 माह 19 दिनों में 13516 (21495–7979) विद्युत की खपत की गई है, अर्थात प्रति माह औसतन लगभग 2919 यूनिट की विद्युत खपत दर्ज की गई, जबकि परिवादिनी द्वारा गत 12 माह (दिनांक 14.10.2021 से दिनांक 15.10.2023 तक) की अवधि में औसतन लगभग 126 यूनिट प्रति माह की विद्युत खपत दर्ज की गई। इस प्रकार दिनांक 14.10.2021 से दिनांक 15.10.2023 की अवधि अर्थात 12 माह में की गई औसतन विद्युत खपत की तुलना में दिनांक 15.10.2022 से दिनांक 04.03.2023 तक की अवधि अर्थात चार माह 19 दिनों में औसतन 2216.67 प्रतिशत अधिक विद्युत खपत दर्ज की गई है, जो कि सही प्रतीत नहीं होती है। परिवादिनी के परिसर पर चैक मीटर, दिनांक 04.03.2023 से दिनांक 05.07.2023 तक लगभग चार माह के लिए स्थापित रखा गया। इन चार माह की अवधि में परिवादिनी द्वारा औसतन 177 (709/4) यूनिट प्रति माह विद्युत खपत दर्ज की गई है जो कि गत 12 माह की अवधि में की गई औसतन मासिक विद्युत खपत की तुलना में सही प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 16.12.2022 तथा दिनांक 28.08.2023 को जारी बिलों में दर्शायी गई विद्युत खपत गत 12 महिनों में परिवादिनी द्वारा की गई औसत विद्युत खपत की तुलना में 2216.67 प्रतिशत अधिक दर्शायी गई है, जो कि सही प्रतीत नहीं होती है।

अतः मंच की राय में विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 16.12.2022 एवं दिनांक 28.08.2023 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए पूर्व के तीन एमयू बिलिंग चक्रों के मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर बिल संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी को दिनांक 16.12.2022 एवं दिनांक 28.08.2023 को जारी बिलों को निरस्त करते हुए पूर्व के तीन एमयू बिलिंग चक्रों के मासिक औसत विद्युत खपत के आधार पर विलंब अधिभार शुल्क रहित संशोधित बिल जारी करे। विपक्षी विभाग आदेश कि अनुपालन आख्या आदेश तिथि से 30 दिन के भीतर मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

28/11/2023 28/11/2023

(संजय कुमार)
न्यायिक सदस्य

(जी0 एस0 धर्मसत्तू)
तकनीकी सदस्य

(सतीश उनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

नोट– इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज–I, देहरादून में अपील कर सकता है।

कार्यालय / OFFICE
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हरिद्वार क्षेत्र
Consumer Grievance Redressal Forum, Haridwar Zone
हिल बाईपास रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार–249401
Hill bypass, Industrial Area, Haridwar- 249401
Phone: 01334-265368 E-Mail– cgrfharidwar@gmail.com

परिवाद सं0 180 / 2023

परिवादी :– मै0 किरण रोडवेज प्रा0 लि0, प्लाट नं0–7, खसरा नं0–1856, प्रोपराईटर श्री ज्ञानी राम सरोया, ग्रा0 सलेमपुर, नियर सेफ एक्सप्रेस, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार।

विपक्षी :– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, ज्वालापुर, हरिद्वार।

कोरम **आदेश दिनांक 28.11.2023**

श्री संजय कुमार न्यायिक सदस्य

श्री जी0 एस0 धर्मसत्तू तकनीकी सदस्य

श्री सतीश उनियाल उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

परिवादी मै0 किरण रोडवेज प्रा0 लि0, प्लाट नं0–7, खसरा नं0–1856, पोपराईटर श्री ज्ञानी राम सरोया, ग्रा0 सलेमपुर, नियर सेफ एक्सप्रेस, बहादराबाद, जिला–हरिद्वार द्वारा कथन किया गया है कि उनके द्वारा विद्युत कनेक्शन सं0 527280823005 लिया गया था, दिनांक 04.09.2023 को रू0 35500.00 की रसीद काट कर दी गयी। उसके बाद जे0ई0 साहब ने एस0टी0ओ0 बनाकर स्टोर से सामान उठा लिया गया व साइट पर पोल भी लगा दिए गये हैं। अतः मंच से अनुरोध है कि जे0ई0 द्वारा एस0टी0ओ0 बनाकर पोल लगाकर जो काम बीच में रोक दिया गया वह कार्य पूरा करवा दिया जाए।

विपक्षी विभाग के उपखण्ड अधिकारी के पत्रांक 575 दिनांक 02.11.2023 द्वारा उक्त के जवाब में मंच को अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य को करने हेतु सामग्री भण्डार केन्द्र से ली जा चुकी है एवं कार्य प्रगति पर है।

मंच के समक्ष परिवादी प्रतिनिधि श्री राव खालिद अनुपस्थित तथा विपक्षी की ओर से उपखण्ड अधिकारी श्री अमित तोमर उपस्थित हुए।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी द्वारा मै0 किरण रोडवेज प्रा0 लि0 के प्रयोगार्थ 04 किलोवाट भार पर अघरेलु विधा का विद्युत संयोजन के लिए आवेदन किया गया है, जिसको विपक्षी विभाग द्वारा पंजीकरण संख्या 527280823005 द्वारा दिनांक 08.08.2023 को पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में परिवादी द्वारा वांछित ओवरहेड लाइन चार्जेज/सर्विस लाइन चार्जेज/प्रतिपूर्ति धनराशि मद में कुल 3,55,000.00 की धनराशि विपक्षी विभाग के कार्यालय में दिनांक 04.09.2023 को जमा की गई है। परिवादी द्वारा दिनांक 19.10.2023 को मंच कार्यालय में प्रस्तुत शिकायत पत्र में कथन किया गया है कि परिवादी को विद्युत संयोजन निर्गत किए जाने हेतु निर्माणाधीन लाइन के कार्य को रोक लिया गया है। सुनवाई की तिथि दिनांक 04.11.2023 को विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत

क्रमशः......02

कराया गया कि प्रश्नगत विद्युत लाइन का कार्य प्रगति पर है। सुनवाई हेतु दिनांक 09.11.2023 नियत की गई तथा दिनांक 09.11.2023 को विपक्षी विभाग द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी द्वारा आवेदित विद्युत संयोजन दिनांक 03.11.2023 को निर्गत कर दिया गया है। इस संबंध में साक्ष्य हेतु विपक्षी विभाग द्वारा स्टेट्स रिपोर्ट भी पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मंच की राय में परिवादी का विद्युत संयोजन मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम, 2020 के अनुसार निर्धारित समयावधि में निर्गत करते हुए परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है। अतः परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किए जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप परिवादी का यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार) न्यायिक सदस्य	28/11/2023 (जी0 एस0 धर्मसत्तू) तकनीकी सदस्य	28/11/2023 (सतीश उनियाल) उपभोक्ता सदस्य

नोट— इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (विद्युत), 80, बसंत बिहार, फेज—I, देहरादून में अपील कर सकता है।